अध्याय III

3. अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

राज्य सरकार की ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा किये गये व्यवहारों की नमूना जांच से प्रकट हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में सम्मिलित किये गये हैं।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.1 *वितरण ट्रांसफॉर्मर का प्रापण, प्रबंधन, निरस्तरीकरण एवं निपटान*

3.1.1 *परिचय*

राजस्थान (राज्य) में विद्युत वितरण नेटवर्क का प्रबंधन, राज्य के स्वामित्व वाली तीन विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) यथा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) द्वारा किया जाता है। राज्य के लोगों को विद्युत की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम्स को एक मजबूत वितरण नेटवर्क बनाये रखना आवश्यक होता है। विद्युत के उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण में वोल्टेज को बढाने या घटाने के लिए ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर उपकरण है जो कि विद्युत क्षेत्र की उपयोगिताओं द्वारा तेजी से उपयोग में ली जाने वाली सामग्री में से एक है। वितरण प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले ट्रांसफॉर्मर को वितरण ट्रांसफॉर्मर (डीटी) कहा जाता है जो कि कुशल विद्युत वितरण नेटवर्क को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। विभिन्न उपभोक्ताओं को आपूर्ति प्राप्त करने वाले सब-स्टेशनों पर डीटी के माध्यम से वोल्टेज को 11 केवी से 0.4 केवी तक नीचे लाया जाता है। वितरण प्रणाली की कुशलता उचित क्षमता के डीटी की संस्थापना, उनकी सही मरम्मत एवं रखरखाव एवं दोष की स्थिति में समय पर प्रतिस्थापन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त डीटी की विफलता विद्युत वितरण प्रणाली में बाधा डालती है।

वर्तमान अध्ययन (जनवरी 2018 से मार्च 2018) जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल के संबंध में यह मूल्यांकन करने के लिए किया गया है कि क्या :

- डीटी की आवश्यकता का आंकलन यथार्थवादी था,
- डीटी की प्रापण की प्रक्रिया निष्पक्ष, न्याय संगत एवं पारदर्शी थी,
- गारंटी अवधि के दौरान विफल डीटी की मरम्मत /प्रतिस्थापन निर्दिष्ट समय में हो गया था एवं डीटी के स्टॉक की प्राप्ति, निर्गमन, भंडारण एवं लेखा प्रक्रिया कुशल एवं प्रभावी थी, एवं
- डीटी की निरस्तरीकरण की नीति पर्याप्त थी।

अध्ययन से जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल में 2015-16 से 2017-18 के दौरान डीटी के प्रापण, प्रबंधन, निरस्तीकरण एवं निपटान कार्यों का आंकलन किया गया है। इस अवधि के

दौरान जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल ने क्रमशः ₹ 962.43 करोड़ मूल्य के 219253 डीटी एवं ₹ 427.73 करोड़ मूल्य के 77073 डीटीज की खरीद के लिए क्रय आदेश जारी किये।

हमने 2015-16 से 2017-18 के दौरान दोनों कम्पनियों द्वारा आमंत्रित एवं निष्पादित 63 निविदाओं में से 24[1] उच्च[2] मूल्य निविदाओं की समीक्षा की। डीटी के प्रबंधन की समीक्षा जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल में क्रमशः 13 एवं 10 सहायक भंडार नियंत्रकों (एसीओएस) में से छः[3] (प्रत्येक कम्पनी में से तीन) एसीओएस में की गई। इसके अतिरिक्त, चयनित एसीओएस के अधिकार क्षेत्र के तहत प्रत्येक से दो उप-खण्डों को डीटी के निष्पादन के विस्तृत मूल्यांकन के लिए चुना गया। एसीओएस एवं उपखण्डों का चयन 2015-18 के दौरान डीटी की उच्चतम विफलता दर के आधार पर किया गया था।

सरकार के उत्तर (जुलाई एवं सितम्बर 2018) पर विचार करने के बाद अनुच्छेद को अंतिम रूप दिया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.1.2 लेखापरीक्षा परिणाम विस्तृत रुप से आरटीपीपी अधिनियम 2012/नियम 2013 का क्रियान्वयन, वितरण ट्रांसफार्मर्स की मांग का निर्धारण, वितरण ट्रांसफार्मर्स का प्रापण, वितरण ट्रांसफार्मर्स का निष्पादन, विफल वितरण ट्रांसफार्मर्स का निस्तारण एवं कम्पनियों (जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल) के एसीओएस एवं उपखण्डीय भण्डारों पर आईटी सक्षम स्कन्ध प्रबधन प्रणाली की कमी से संवंधित मुद्दे आगामी अनुच्छेदो (अनुच्छेद 3.1.3 से 3.1.22) में वर्णित किये गये है। ये लेखापरीक्षा परिणाम केवल नमूना प्रकरणों के विश्लेषण पर आधारित है एवं कम्पनियों में ऐसे ओर भी प्रकरण घटित होने की संभावना है। इसलिए सरकार/कम्पनियों से अपेक्षा है कि वह अन्य सभी प्रकरणों की समीक्षा करे जिनमें की समान कमियां/अनियमितता होने की संभावना है एवं अन्य प्रकरण जिनमे की कमियां/अनियमितता पायी जाती है, उनमे सुधारात्मक कार्यवाही करना अपेक्षित है।

3.1.3 *क्रय-नियमावली का राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अनुरूप पुनरीक्षण ना करना*

राज्य सरकार ने राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (आरटीपीपी अधिनियम, 2012) पारित (22 मई 2012) किया एवं आरटीपीपी अधिनियम एवं आरटीपीपी नियम, 2013 अधिसूचित किया (जनवरी 2013)। आरटीपीपी अधिनियम, 2012, बोली लगाने वालों के लिये निष्पक्ष एवं न्याय संगत उपचार सुनिश्चित करने, प्रतिस्पर्धा को बढावा देने, लोक प्रापण में दक्षता एवं मितव्ययता में वृद्वि करना एवं सत्यनिष्ठा को सुरक्षित करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये लोक प्रापण के विनियमन के उद्देश्य के लिये लागू किया गया था, जो कि राज्य सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाले सभी राज्य लोक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू[4] है। आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 86 के द्वारा, सामग्री, सेवाओं या कार्यो की प्रापण से

---

1 जेवीवीएनएल की 31 निविदाओं में से 16 तथा जेडीवीवीएनएल की 32 निविदाओं में से 8।

2 निविदाओं का मूल्य ₹ 0.81 करोड़ से लेकर ₹ 157.29 करोड़ के मध्य था।

3 जेवीवीएनएल में जयपुर जिला वृत, अलवर एवं भरतपुर एसीओएस एवं जेडीवीवीएनएल में जोधपुर, बीकानेर जिला वृत्त एवं एसीओएस जालोर।

4 राजस्थान लोक उप्रापण में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 का धारा 3।

संबंधित सभी विद्यमान नियमों एवं विनियमों को, उनके लागू होने की सीमा तक, नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से निरस्त कर दिया गया है। अधिनियम की धारा 56 के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को, अधिनियम/नियमों प्रावधानों के अनुसार दिशानिर्देश, प्रक्रियाओं, सामान्य प्रपत्रों, मानक विनिर्देशों एवं नियमावली को जारी करने की आवश्यकता थी।

हमने देखा कि जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल ने आरटीपीपी अधिनियम 2012 एवं आरटीपीपी नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार क्रय नियमावली को संशोधित नहीं किया (मार्च 2018) एवं पूर्ववर्त्ती राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी) जो कि जुलाई 2000 में पांच कम्पनियों में विभक्त हो गया था, द्वारा अनुमोदित (1999) क्रय नियमावली का ही अनुसरण जारी रखा। हालांकि, कम्पनियों ने समय-समय पर क्रय नियमावली में संशोधन किया था।

डिस्कॉम्स समन्वय फोरम[5] (डीसीफ) ने डिस्कॉम्स को क्रय नियमावली की समीक्षा करने एवं इसमें निर्दिष्ट की गई क्रियाविधियां आरटीपीपी अधिनियम 2012/नियम 2013 के प्रावधानों/ वाक्यांशों के अनुरूप होने को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित (फरवरी 2014) किया। डिस्कॉम्स ने अपने सम्बन्धित क्रय मैनुअलों के 12 मुख्य प्रावधानों को आरटीपीपी अधिनियम 2012/नियम 2013 के अनुसार संशोधित करने के स्थान पर, इसके प्रावधानों की छः[6] शर्तों में छूट देने के लिए राज्य सरकार को आवेदन करने का निर्णय (अप्रैल 2016) किया परन्तु राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (मई 2018)। इसके बाद अध्यक्ष, डिस्कॉम्स ने आरटीपीपी अधिनियम 2012/ नियम 2013 के अनुरूप क्रय एवं भण्डार नियमावली के साथ मानक बोली प्रपत्र को तैयार/ संशोधित करने के लिए एक समिति गठित (8 अगस्त 2016) की। तथापि हमने देखा कि कम्पनियों की क्रय नियमावली, मानक बोली प्रपत्र एवं भण्डार नियमावली को संशोधित नहीं किया गया था (मार्च 2018)।

तीनों डिस्कॉम्स की तकनीकी विशिष्टता स्वीकृति समिति (टीएसएसी) ने आरटीपीपी अधिनियम 2012/नियम 2013 के अनुरूप बोली प्रतिभूति एवं निष्पादन प्रतिभूति के प्रावधानों को अपनाने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2017)। कम्पनी ने तदनुसार बोली प्रतिभूति एवं निष्पादन प्रतिभूति के संबंध में आरटीपीपी अधिनियम/नियम के प्रावधानों को बीओडी की स्वीकृति लिये बिना अपना लिया (अक्टूबर 2017)।

इस प्रकार, कंपनियां अक्टूबर 2017 तक आरटीपीपी अधिनियम/नियमों के अनुरूप बारह प्रावधानों को अपनाकर क्रय प्रक्रिया में संशोधन सुनिश्चित नहीं कर सकी। इसके बाद भी कम्पनियों ने क्रय-प्रक्रिया को आरटीपीपी अधिनियम/नियमों के अनुरूप करने के लिए चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए केवल दो प्रावधानों को ही अपनाया। आरटीपीपी अधिनियम 2012/नियम 2013 से विचलन **अनुबंध 3** में वर्णित है।

उत्तर में सरकार ने कहा (सितम्बर 2018) कि आरटीपीपी अधिनियम 2012 के प्रावधानों एवं नियमों के अनुरूप क्रय नियमावली एवं भण्डार नियमावली का संशोधन पूर्ण किया जा रहा है।

---

5 यह तीनों डिस्कॉम्स का सामान्य मंच है जिसका मुखिया डिस्कॉम्स अध्यक्ष होता है एवं प्रत्येक डिस्कॉम्स के प्रबन्ध निदेशकों एवं दूसरे प्रतिनिधियों से मिलकर बना है जो सामान्य परस्पर प्रकरणों पर आपसी निर्णयों के लिये विचार-विमर्श करते हैं।

6 बोली प्रतिभुति, निष्पादन प्रतिभुति, बोलीकर्ताओं के मध्य मात्रा का विभाजन, परीक्षण आदेश, प्रतिभुति राशि एवं राजस्थान की फर्मों एवं राजस्थान से बाहर स्थित फर्मों के मध्य दरों की तुलना।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने अब तक आरटीपीपी अधिनियम 2012 की कुछ शर्तों में छूट देने की अनुमति के लिए किए गए अनुरोध का जवाब नहीं दिया है (नवम्बर 2018)।

तथ्य यही है कि 2017-18 के दौरान संशोधित नियमावली को लागू करने के लिए सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद दोनों कम्पनियां क्रय नियमावली एवं भण्डार नियमावली में संशोधन नहीं कर सकी। यह उल्लेख करना भी उपयुक्त होगा कि *'अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सामग्री के प्रापण एवं प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा'* के लिए निकास बैठक (जुलाई 2018) में, सरकार ने डिस्कॉम्स को, कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं के बहाने से किसी वैधानिक प्रावधान की पालना ना करने को न्यायसंगत ठहराने के स्थान पर, अधिनियम/नियमों का सम्पूर्ण पालन करने का निर्देश दिया।

वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की आवश्यकता का आंकलन

3.1.4 सामग्री की आवश्यकता के आंकलन की प्रक्रिया, कम्पनियों के भण्डार एवं क्रय नियमावली के प्रावधानों द्वारा निर्देशित है, जिसके अनुसार केन्द्रीय रूप से क्रय की जाने वाली वस्तुओं का वार्षिक आंकलन तैयार करना होता है। क्रय नियमावली बताता है कि वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने पर जेवीवीएनएल एवं जेडीवीएनएल में क्रमशः 'क्रय योजना एवं प्रबंधन समिति' (पीपीएमसी) एवं 'आवश्यकता स्वीकृति समिति' (आरएसी) द्वारा मदवार वार्षिक आवश्यकता को अंतिम रूप दिया जाएगा। पीपीएमसी/आरएसी सामग्री की आवश्यकता का आंकलन करने के लिए विभिन्न पहलुओं जैसे कि भौतिक लक्ष्य, स्टॉक स्थिति, लंबित आदेश इत्यादि को ध्यान में रखेगा।

अध्यक्ष, डिस्कॉम्स ने सामग्री की आवश्यकता का आंकलन करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे (अगस्त 2016)। दिये गये निर्देशों के अनुसार, अन्य बातों के साथ, उप-खण्ड स्तर पर सामग्री की आवश्यकता के आंकलन की कार्यवार सूची का संकलन एवं समीक्षा वृत्तीय स्तर पर की जानी थी। वृत्तीयवार आवश्यकता को आगे जोनल चीफ इंजीनियर (जेडसीई) द्वारा फिर संकलित किया जाना था एवं मुख्य अभियंता (एमएम) के माध्यम से पीपीएमसी/आरएसी को सूचित किया जाना था।

चयनित एसीओएस एवं उनके उप-खण्डों के रिकॉर्डस की समीक्षा से पता चला कि डीटी की आवश्यकता के आंकलन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। वृत्त कार्यालयों एवं उप-खण्डों द्वारा मुख्य अभियंता (एमएम) को भेजे गये कार्यवार/उप-खण्ड वार डीटी की आवश्यकता के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं था। कार्यवार/उप-खण्ड वार मूल्यांकन पत्रों/दस्तावेजों की अनुपस्थिति में, हम यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि:

- सीई(एमएम) द्वारा उप-खण्ड वार संचालन एवं रखरखाव कार्यो के लिए डीटी आवश्यकता की मूल्यांकन पर्याप्तता एवं
- क्या डीटी की कमी के कारण संचालन एवं रखरखाव कार्य/ वितरण नेटवर्क संवर्धन में रूकावट आई थी।

उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया (जुलाई/सितम्बर 2018) कि उप-मंडल स्तर पर आवश्यकता का सटीक मूल्यांकन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, पीपीएमसी/आरएसी ने आवश्यकता को अंतिम रूप पिछले वर्षों को उपभोग के स्वरूप एवं लम्बित आदेशों से प्रत्याशित

मात्रा एवं उपलब्ध भण्डार को ध्यान में रखते हुए दिया। हालांकि, यह उत्तर इस अवलोकन पर मौन था कि आवश्यकता के आंकलन के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों से ऐसी कोई आवश्यकता नहीं मिली एवं सीई (एमएम) ने आवश्यकता के आंकलन के लिये ध्यान में रखी। तथ्य यही है कि सरकार द्वारा इसी तरह के आक्षेप पर दिए गए आश्वासन जो कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) राजस्थान सरकार, के 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 4) में सम्मिलित है, के बावजूद दोनों कम्पनियों ने आवश्यकता के आंकलन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था।

3.1.5 *वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की आवश्यकता को अंतिम रूप देने में देरी*

क्रय नियमावली के वाक्यांश 6.3 में यह प्रावधान था कि प्रसारण एवं वितरण कार्यो के लिए केंद्रीय स्तर पर प्रापण की जाने वाली वस्तुओं की मदवार आवश्यकता को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के समय अंतिम रूप दिया जायेगा।

जेवीवीएनएल में पीपीएमसी एवं जेडीवीवीएनएल में आरएसी द्वारा 2015-16 से 2017-18 की अवधि के लिए सामग्री की आवश्यकता (डीटी सहित) को अंतिम रूप देने की स्थिति नीचे दी गई है:

वित्तीय वर्ष	पीपीएमसी/आरएसी द्वारा सामग्री की आवश्यकता (डीटी सहित) को अंतिम रूप देने की दिनांक	
	जेवीवीएनएल	जेडीवीवीएनएल
2015-16	1 जुलाई 2015	5 दिसंबर 2014
2016-17	1 जून 2016	3 फरवरी 2016
2017-18	23 सितम्बर 2016	10 अक्टूबर 2016

यह उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि यद्यपि जेडीवीवीएनएल संबंधित वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व 2015-16 एवं 2016-17 की आवश्यकता को अन्तिम रूप दे चुका था, जेवीवीएनएल ने 2015-2017 के दौरान क्रय नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संबंधित वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के दो से तीन महीने देरी से मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया।

अध्यक्ष डिस्कॉम्स ने निर्देश जारी किए थे (अगस्त 2016) जिसके अनुसार अगले वित्तीय वर्ष के लिए सामग्री की आवश्यकता को अंतिम रूप अक्टूबर के पहले सप्ताह तक देना था। उसके बाद, जेवीवीएनएल की पीपीएमसी एवं जेडीवीवीएनएल की आरएसी ने वर्ष 2017-18 के लिए सामग्री की आवश्यकता को क्रमशः सितम्बर 2016 एवं अक्टूबर 2016 में अंतिम रूप दिया जिन्हें इन कम्पनियों की बीओडी द्वारा क्रमशः अक्टूबर 2016 एवं नवंबर 2016 में अनुमोदित किया था। इस प्रकार जेडीवीवीएनएल ने वर्ष 2017-18 की आवश्यकता को एक महीने की देरी से अंतिम रूप दिया।

सरकार ने कहा (जुलाई/सितम्बर 2018) कि जेवीवीएनएल ने वर्ष 2017-18 की आवश्यकता को निर्धारित निर्देशों के अनुसार समय पर अंतिम रूप दिया था एवं दोनों कपंनियों (जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल) ने भविष्य में आवश्यकता को समय पर अंतिम रूप देने का आश्वासन दिया।

3.1.6 *अनुमोदित मात्रा, निविदा मात्रा एवं क्रय आदेश मात्रा में भिन्नता*

डिस्कॉम्स अन्य श्रेणी के साथ-साथ सिंगल फेज एवं थ्री फेज के क्रमशः 5 केवीए से 25 केवीए एवं 10 केवीए से लेकर 500 केवीए तक की क्षमता के वितरण ट्रांसफॉर्मर का क्रय करते है। 2015-16 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा मूल्यांकन की गयी विभिन्न क्षमताओं के वितरण ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता, पीपीएमसी/आरएसी द्वारा अनुमोदित मात्रा, निविदा मात्रा एवं मात्रा जिसके लिए क्रय आदेश दिए गए थे, जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल के संबंध में क्रमशः **अनुबंध 8** एवं **9** दिए गए हैं।

यह **अनुबंध 8** से देखा जा सकता है कि हालांकि जेवीवीएनएल ने 2015-16 एवं 2016-17 में पीपीएमसी द्वारा अनुमोदित मात्रा के अनुसार निविदाएं[7] आमंत्रित की, परन्तु 2017-18 के लिए पीपीएमसी द्वारा अनुमोदित मात्रा से कम के लिए निविदाएं[8] आमंत्रित की। 2015-16 से 2017-18 के दौरान अनुमोदित मात्रा एवं क्रय आदेशों की मात्रा के मध्य (+) 60 प्रतिशत से (-)100 प्रतिशत तक का अन्तर था।

2016-17 के दौरान, जेवीवीएनएल ने 9000 वितरण ट्रॉसफॉर्मर्स[9] की आवश्यकता का आंकलन करने एवं निविदा आमंत्रित करने के बावजूद भी 25 केवीए एवं 16 केवीए सिंगल फेज डीटी के लिए कोई क्रय आदेश जारी नहीं किया। यह देखा गया कि जेवीवीएनएल ने वर्ष 2015-16 के लिए जेडीवीवीएनएल द्वारा अंतिम रूप से दी गई निविदाओं से ही अपनी आवश्यकता पूरी की, क्योंकि जेडीवीवीएनएल ने वर्ष 2015-16 के लिए आरएसी द्वारा आंकलन की गयी मात्रा से अधिक मात्रा की निविदाएं आमंत्रित की एवं क्रय आदेश जारी किये जैसा कि **अनुबंध-9** में दर्शाया है।

जेडीवीवीएनएल के मामले में **अनुबंध-9** से देखा जा सकता है कि 2015-18 के दौरान आरएसी द्वारा अंतिम किए गए मात्रा के 39[10] प्रकरणों में से केवल 9 प्रकरणों में जेडीवीवीएनएल आरएसी द्वारा अनुमोदित मात्रा के अनुसार निविदाएं आमंत्रित कर सका जबकि शेष प्रकरणों में, जेडीवीवीएनएल, आरएसी द्वारा अनुमोदित मात्रा की तुलना में काफी अधिक/कम मात्रा, 303.86 प्रतिशत से (-)100 प्रतिशत के बीच अन्तर के लिए निविदाएं आमंत्रित की। 2015-16 से 2017-18 के दौरान अनुमोदित मात्रा एवं क्रय आदेशों की मात्रा के बीच अंतर 415.50 प्रतिशत एवं (-)100 प्रतिशत के बीच था।

हमने पाया कि डिस्कॉम्स में ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता के आंकलन एवं अनुमोदन के लिए प्रभावी एवं मजबूत तंत्र की कमी थी क्योंकि ऐसे कई उदाहरण[11] थे जिनमें मुख्य अभियंता (एमएम) ने डीटी की आवश्यकता का आंकलन किया था लेकिन पीपीएमसी/आरसी ने कोई

---

7 2015-16 के लिये 10 केवीए, तीन फेस डीटी एवं 16 केवीए सिंगल फेस डीटी एवं 2016-17 के लिये 10 केवीए एवं 40 केवीए तीन फेस डीटी को छोड़कर।

8 10 केवीए एवं 40 केवीए तीन फेस डीटी को छोड़कर।

9 4000 डीटी 25 केवीए के एवं 5000 डीटी 16 केवीए के।

10 2015-16 से 2017-18 तक प्रत्येक वर्ष 13 प्रकार के वितरण ट्रॉन्सफार्मर।

11 जेवीवीएनएल में 2015-16 एवं 2016-17 में 40 केवीए थ्री फेस वाले डीटी एवं 2016-17 में 5 केवीए सिंगल फेस डीटी।

स्वीकृति नहीं दी थी। इसके अतिरिक्त, ऐसे भी कई उदाहरण[12] थे जिनमें पीपीएमसी/आरसी ने पर्याप्त मात्रा में डीटी को मंजूरी, मुख्य अभियंता(एमएम) की आवश्यकता के आंकलन के बिना, दे दी थी। इसके अतिरिक्त, निविदा मात्रा एवं मात्रा जिसके लिए क्रय आदेश जारी किये गये थे, का अनुमोदित मात्रा की तुलना में अत्यधिक अन्तर था।

इस प्रकार, डिस्कॉम्स ने उचित क्रय योजना तैयार करने के लिए आंकलित आवश्यकता एवं वास्तविक क्रय के बीच अन्तर को नियंत्रित नहीं किया।

सरकार ने कहा (जुलाई/सितम्बर 2018) कि मात्रा में अन्तर विभिन्न कारणों, जैसे कि पिछले वर्षों की उपभोग के स्वरूप, सफल बोलीदाताओं द्वारा आदेशित मात्रा की आपूर्ति नहीं करना, सरकार द्वारा योजना की देरी से घोषणा करना आदि की वजह से रहा है।

ट्रान्सफॉर्मर्स का प्रापण

3.1.7 *निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी*

कम्पनियों के क्रय नियमावली के वाक्यांश 22.8 में निविदा खोलने की तारीख से लेकर लेटर ऑफ इन्टेंट/क्रय आदेश जारी करने तक क्रय के प्रकरणों को अंतिम रूप देने के लिए 120 दिनों की अधिकतम अवधि प्रदान करने का प्रावधान है। यदि किसी भी निविदा को निर्धारित समय अवधि में संबंधित प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया जाता है तो उसे अगले उच्च प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा। संबंधित प्राधिकारी को अगले उच्च प्राधिकारी को निविदा की अनुशंसा करते समय निर्धारित समय अवधि के भीतर निविदा को अंतिम रूप न देने के कारणों का उल्लेख करना होगा। अध्यक्ष डिस्कॉम ने भी निविदा खोलने के 120 दिनों के भीतर विस्तृत क्रय आदेश जारी करने के लिए निर्देश (अगस्त 2016) जारी किए थे।

वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान 63 आमंत्रित निविदाओं मे से 24[13] चयनित निविदाओं की संवीक्षा से पता चला कि कम्पनियों (जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल) ने 15[14] निविदाओं को 120 दिनों की निर्धारित अवधि से अधिक अवधि में अंतिम रूप दिया। निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी तीन से 411 दिनों के मध्य थी जैसा कि **अनुबंध 10** में वर्णित है। इसके अतिरिक्त, कम्पनियों ने इन निविदाओं को अंतिम रूप अगले उच्च प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना दिया।

उत्तर में सरकार ने कहा (जुलाई 2018) कि तीन[15] निविदाओं के मामले में, लैटर आफ इन्टेंट 120 दिनों की निर्धारित सीमा में जारी कर दिये थे। सरकार ने फिर भी स्वीकार किया कि शेष प्रकरणों में देरी विभिन्न कारणों जैसे कि अदालत के आदेश, नकली प्रमाणपत्र जमा करना एवं कर्मचारियों की कमी की वजह से हुई थी। उत्तर में उल्लेखित तीन निविदाओं को अंतिम रूप देने में कोई देरी नही होने के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी (जेवीवीएनएल) ने इन प्रकरणों में बोलीदाताओं को क्रय आदेश जारी करने में क्रमशः तीन, 125 एवं 70 दिनों कि देरी की जैसा कि **अनुबंध–10** में वर्णित है।

---

12 जेवीवीएनएल में 2016-17 में 16 केवीए थ्री फेस डीटी एवं 2017-18 में 5 केवीए सिंगल फेस डीटी तथा जेडीवीवीएनएल में 2015-16 में 10 केवीए थ्री फेस डीटी ।

13 जेवीवीएनएल की 16 निविदायें एवं जेडीवीवीएनएल की 8 निविदायें ।

14 जेवीवीएनएल की 11 निविदायें एवं जेडीवीवीएनएल की 4 निविदायें।

15 जेवीवीएनएल के टीएन-2332, 2359, तथा 2384 ।

3.1.8 *क्रय नियमावली का उल्लंघन/आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई का अभाव*

अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के वाक्यांश 1.24 जो जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल के सामग्री प्रबंधन विभाग द्वारा किये गए प्रत्येक अनुबंध/क्रय आदेश का भाग होता है, यह बताती है कि निर्दिष्ट आपूर्ति का समय एवं तिथि अनुबंध का सार है एवं निर्दिष्ट अवधि के भीतर आपूर्ति पूरी करनी जरुरी है। यह आगे बताती है कि जिन प्रकरणों में विक्रेता ने अनुबंधिक औपचारिकताओं की अनुपालना कर दी थी, लेकिन बाद की निविदा की तकनीकी बोली स्खोलने की तारीख तक आपूर्ति प्रारम्भ नहीं की थी एवं पुराने आदेश की डिलीवरी की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी, कम्पनी वितरण में देरी के कारण वसूली के अधिकतम दण्ड लगाने के साथ आदेश जारी करने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए या अगले दो बोलियों के लिए व्यापार संबंधों को तोडने, जो भी बाद में हो, की हकदार है। आगे यह भी प्रावधान था कि ऐसे प्रकरणों में यदि पूर्तिकर्ता सामग्री की निर्धारित समय में पूर्ति करने में असफल रहता है, कम्पनी (जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल), देरी से पूर्ति करने अनापूर्तित मात्रा के लिये अधिकतम 5 प्रतिशत की दर से वसूली की हकदार होगी।

(अ) जेवीवीएनएल (कम्पनी) ने 315 केवीए के थ्री फेज 135 डीटी (टीएन 2392) की आपूर्ति के लिए सेंचुरी इंफ्रापावर, जयपुर (आपूर्तिकर्ता) को क्रय आदेश (मई 2017) जारी किये। क्रय आदेश के अनुच्छेद 3 के अनुसार, फर्म को जुलाई 2017 में आपूर्ति प्रारम्भ करनी थी एवं मार्च 2018 में पूरी करनी थी। हमने देखा कि फर्म ने निर्धारित अवधि समाप्त होने एवं बाद की निविदा (टीएन 2413) की मूल्य निविदा के स्खोलने (अगस्त 2017) के पश्चात भी आपूर्ति प्रारम्भ नहीं की (अप्रैल 2018)। यहां तक कि इसने ड्राइंग एवं गारंटीकृत तकनीकी पैरामीटर्स के लिए भी कम्पनी से अनुमति नहीं ली (अप्रैल 2018)।

कम्पनी ने फिर भी, अनुबंध के अनुच्छेदो एवं क्रय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, पूर्ण दंड की वसूली के साथ क्रय आदेशो को रद्द करने जैसी कोई कार्यवाही फर्म के विरुद्ध नहीं की।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (जुलाई/सितम्बर 2018) किया एवं कहा कि आपूर्ति में देरी हुई क्योंकि डीटी के लिए प्रारंभिक रूप से अनुमोदित डिजाइन के साथ हानियों को हासिल नहीं किया जा सका। हालांकि, डीटी के संशोधित ड्रांइगों को अनुमति दे दी गई थी (अप्रैल 2018) एवं उसके बाद आपूर्तिकर्ता द्वारा, छः डीटी की आपूर्ति टाइप टेस्ट किये जाने के पश्चात आपूर्तिकर्ता से अगस्त 2018 में प्राप्त हो गई है एवं शेष मात्रा की आपूर्ति अक्टूबर 2018 तक कर दी जायेगी।

(ब) जेवीवीएनएल (कम्पनी) ने 315 केवीए क्षमता (टीएन 2413) के 315 थ्री फेज डीटी के क्रय के लिए वित्तीय बोली स्खोली (अगस्त 2017), जिसमें विकास इंटरप्राइजेज (आपूर्तिकर्ता) जो कि परीक्षण आदेश के लिए पात्र था, ईकाई दर ₹ 387500 पर न्यूनतम बोलीदाता (एल 1) था। कम्पनी ने न्यूनतम बोलीदाता (एल 1) के साथ बातचीत (सितंबर 2017) की एवं वह ₹ 385093 की इकाई दर पर डीटी आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया। इस दर का प्रति–प्रस्ताव अन्य बची हुई उत्तरदायी बोली लगाने वाली फर्मों को दिया गया (सितंबर 2017) लेकिन कोई भी फर्म इस दर पर सहमत नहीं हुई। कम्पनी ने 200 डीटी की आपूर्ति के लिए न्यूनतम बोलीदाता (एल 1) फर्म को क्रय आदेश जारी कर दिया (अक्टूबर 2017)। क्रय आदेश के अनुच्छेद 3 के अनुसार, फर्म को 15 दिसंबर 2017 से आपूर्ति प्रारम्भ

करने एवं 31 अगस्त 2018 तक इसे पूर्ण करना था। परन्तु फर्म ने आपूर्ति प्रारम्भ नहीं की थी (अप्रैल 2018)।

हमने देखा कि असाधारण प्रकरणों में, निगम स्तरीय क्रय समिति (सीएलपीसी) को, परीक्षण आदेश के लिए पात्र फर्म को निविदा मात्रा का अधिकतम 30 प्रतिशत तक आदेश देने का अधिकार था। यह वाक्य, एक नए निविदाकार द्वारा चूक से होने वाले दुष्प्रभावों से कम्पनी को सुरक्षित रखता था। परन्तु इस मामले में, सीएलपीसी ने क्रय नियमावली का उल्लंघन करते हुए, फर्म को जो केवल परीक्षण आदेश के योग्य थी निविदा मात्रा के 63.50 प्रतिशत का आदेश देने का निर्णय (अक्टूबर 2017) लिया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने फर्म के खिलाफ आपूर्ति प्रारम्भ नहीं करने पर कोई कार्रवाई नहीं की (अप्रैल 2018)।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई/सितम्बर 2018) एवं कहा कि निचली कीमत का लाभ उठाने के लिए पात्र मात्रा की बजाय कुल उद्धृत मात्रा (200 डीटी) के लिए आपूर्तिकर्ता को क्रय आदेश जारी किया गया था। आगे यह कहा गया कि टाईप टैस्ट के पूर्ण होने पर, फर्म द्वारा सामग्री को जांच के लिये प्रस्तुत करने की संभावना है एवं डीटी की आपूर्ति लागू दंड के बाद ही ली जायेगी।

(स) जेवीवीएनएल (कम्पनी) ने 10, 16 एवं 25 केवीए डीटी की आपूर्ति के लिए विभिन्न फर्मों को क्रय आदेश (टीएन 2384) जारी (जुलाई 2017) किये। क्रय आदेश के वाक्यों के अनुसार फर्मों को 22 अगस्त 2017 से आपूर्ति प्रारम्भ करनी थी एवं 7 मई 2018 तक उसे पूर्ण करना था। 31 मार्च 2018 तक विभिन्न प्रकार के डीटी की कुल आदेशित मात्रा, प्राप्त डीटी की मात्रा, जिन कम्पनियों ने अप्रैल 2018 तक आपूर्ति प्रारम्भ नहीं की, की स्थिति को नीचे दिखाया गया है:

डीटी का प्रकार	सभी फर्मों पर डीटी की कुल आदेशित मात्रा	मार्च 2018 तक प्राप्त हुई मात्रा	मार्च 2018 तक शेष मात्रा	फर्मों की संख्या जो अप्रैल 2018 तक आपूर्ति प्रारम्भ नहीं कर सकी	फर्मों की आदेशित (संख्या) मात्रा जिसकी आपूर्ति अप्रैल 2018 तक शुरु नही की गई
10 केवीए	7000	3126	3874	5[16]	1400
16 केवीए	7125	3901	3224	4[17]	1068
25 केवीए	4875	1117	3758	5[18]	569
कुल	19000	8144	10856		3037

हमने देखा कि कम्पनी ने 2017-18 की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए 19000 डीटी की क्रय के आदेश दिए थे, लेकिन मार्च 2018 तक केवल 8144 डीटी (42.86 प्रतिशत) क्रय

16 फतेहपुरिया ट्रांसफार्मर्स व स्विचगीयर्स, जयपुर (350 डीटी), जी एंड जी इंटरप्राईजिज, जयपुर (175 डीटी), मार्सन्स एनर्जी प्रा लि. जयपुर (350 डीटी), टेक्निकल एसोसिएट्स, लखनऊ (350 डीटी) व विकास इंटरप्राईजिज, जयपुर (175 डीटी).

17 फतेहपुरिया ट्रांसफार्मर्स व स्विचगीयर्स, जयपुर (356 डीटी), जी एंड जी इंटरप्राईजिज, जयपुर (178 डीटी), मार्सन्स एनर्जी प्रा लि. जयपुर (356 डीटी) व विकास इंटरप्राईजिज, जयपुर (178 डीटी).

18 फतेहपुरिया ट्रांसफार्मर्स व स्विचगीयर्स, जयपुर (244 डीटी), जी एंड जी इंटरप्राईजिज, जयपुर (81 डीटी), मार्सन्स एनर्जी प्रा लि. जयपुर (81 डीटी), पुष्कर मैटल, हनुमानगढ (81 डीटी) व विकास इंटरप्राईजिज, जयपुर (82 डीटी).

किये जा सके। इस प्रकार, 10856 डीटी (57.14 प्रतिशत) की आपूर्ति लगभग सारी अवधि समाप्त जाने के पश्चात भी नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, छः[19] ऐसी फर्में भी थीं जिन्होंने अप्रैल 2018 तक 3037 डीटी, जिनकी कीमत ₹ 14.26 करोड़ थी, आदेशित मात्रा के विरुद्ध एक भी डीटी की पूर्ति नहीं की थी। फिर भी, कम्पनी ने इन फर्मों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कम्पनी ने मौजूदा वितरण नेटवर्क एवं चल रही योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव पर डीटी की प्राप्ति नहीं होने के प्रभाव का आकलन नहीं किया।

सरकार ने तथ्यों (जुलाई 2018) को स्वीकार किया एवं कहा कि टाईप टेस्ट की आवश्यकता एवं बीआईएस प्रमाणीकरण प्राप्त करने के कारण आपूर्ति में देरी हुई थी एवं डीटी की आपूर्ति लागू दंड के साथ स्वीकार की जाएगी। इसने आगे कहा कि (सितम्बर 2018) 14 चूक करने वाले आपूर्तिकर्ताओं में से 4 ने आपूर्ति शुरु कर दी है (नवम्बर 2018)।

(द) कम्पनियों ने सिंगल एवं थ्री फेज डीटी की खरीद के लिए चार निविदाओं[20] के तहत 15 क्रय आदेश दिए जैसा कि **अनुबंध-11** में वर्णित है। यह अनुबंध से देखा जा सकता है कि आपूर्तिकर्ताओं ने फरवरी 2015 से जुलाई 2017 के बीच निर्धारित सुपर्दगी अवधि की समाप्ति के पश्चात भी आदेशित मात्रा के विरुद्ध संपूर्ण आपूर्ति निष्पादित नहीं की थी। फिर भी, कम्पनी ने इन आपूर्तिकर्ताओं से ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति ना करने की मात्रा के लिए ₹ 2.65 करोड़ का दंड वसूल नहीं किया (जुलाई 2018)।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2018) एवं जेवीवीएनएल ने कहा कि आपूर्तिकर्ताओं ने मूल्य गिरने के नियम के लागू होने के कारण सामग्री की आपूर्ति नहीं की थी। इसने आगे कहा कि (सितम्बर 2018) आठ में से चार[21] प्रकरणों मे जेवीवीएनएल मे वो ही आपूर्ति स्वीकार की गई जो निर्धारित अवधि में थी जबकि शेष मात्रा की आपूर्ति को लागू दंड वसूल करके रद्द कर दी गई थी। शेष चार प्रकरणों में शेष मात्रा की आपूर्ति को रद्द करने के लिये अनुबंध के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। जेडीवीवीएनएल के चूक करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के प्रकरणों में शेष मात्रा को लागू दंड के साथ/बिना दंड के साथ रद्द करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2018)।

3.1.9 *नॉन स्टार रेटेड ट्रांसफॉर्मर का क्रय*

जेडीवीवीएनएल ने मै.सेंचुरी इंफ्रा पावर (प्राइवेट) लिमिटेड जयपुर (फर्म) को 1000, 16 केवीए थ्री फेज (एल्यूमिनियम वाउंड) चार सितारा रेटेड वितरण ट्रांसफॉर्मर ₹ 3.99 करोड़ मूल्य की आपूर्ति के लिए क्रय आदेश दिये (जून 2014)। ट्रांसफॉर्मर पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा जारी चार सितारा रेटिंग के साथ प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर पर बीईई के स्टार लेबल वांछित थे। आपूर्ति जुलाई 2015 में पूरी की गई थी। यह पाया गया कि बीईई ने अगस्त 2011 में स्टार रेटिंग के लेबल को फर्म को अनुमति दी जो कि 10 अगस्त 2011 से 09 अगस्त

---

19 फतेहपुरिया ट्रांसफार्मर्स व स्विचगीयर्स, जयपुर (10, 16 व 25 के वी ए), जी एंड जी इंटरप्राईजिज, जयपुर (10, 16 व 25 के वी ए), मार्सन्स एनर्जी प्रा लि. जयपुर (10, 16 व 25 के वी ए), टेक्निकल एसोसिएट्स, लखनऊ (10 के वी ए), विकास इंटरप्राईजिज, जयपुर (10, 16 व 25 के वी ए), व पुष्कर मैटल, हनुमानगढ (25 के वी ए)।

20 टी एन 968, 1052, 2217, व 2270 ।

21 पशुपतिनाथ ट्रांसफार्मर्स, वर्धमान इलैक्ट्रोमेच, राजस्थान मैटल व कैमिकल इंडस्ट्रिज व सुपर ट्रांसफार्मर्स व इलैक्ट्रिकल।

2014 तक मान्य थी। फर्म ने निर्धारित समय में बीईई अनुमति के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया (अर्थात वैधता की समाप्ति से तीन महीने पहले)। प्रारंभिक अनुमति (अगस्त 2014) की समाप्ति के बाद, फर्म ने अनुमति के नवीनीकरण के लिए बीईई से संपर्क किया। बीईई द्वारा अनुमति जून 2015 में नवीनीकृत की गई जो 19 मई 2015 से 18 मई 2018 तक तीन साल के लिए मान्य थी। इस प्रकार, फर्म के पास अगस्त 2014 से मई 2015 की अवधि के दौरान बीईई अनुमति नहीं थी एवं उसे ट्रांसफॉर्मर पर बीईई स्टार रेटिंग लेबल प्रत्यर्पित करने की अनुमति नहीं थी हांलाकि इन ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति सीटीएल में परीक्षण की उचित प्रक्रिया के बाद स्वीकार की गई थी। यद्यपि यह देखा गया था कि इस अवधि के दौरान 826 ट्रांसफॉर्मर (अगस्त 2014 से फरवरी 2015) की आपूर्ति की गई थी एवं मार्च 2015 तक ₹ 3.26 करोड़ का भुगतान भी किया गया था। लेखा परीक्षा इन ट्रांसफार्मर्स के निष्पादन का मूल्यांकन नही कर सका क्योंकि ये ट्रासंफार्मर्स विभिन्न स्थानो पर लगे हुए थे एवं कम्पनी ने ट्रासंफार्मर्स वार निष्पादन का रिकार्ड रखने एवं गुणावलोकन का तंत्र विकसित नही कर रखा था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (सितम्बर 2018) एवं कहा कि जेडीवीवीएनएल ने अगस्त 2014 से मई 2015 तक इन ट्रासंफार्मर्स की आपूर्ति गलती से स्वीकार की थी। फिर भी लेखा परीक्षा का यह विचार है कि कम्पनी (जेडीवीवीएनएल) को भविष्य में सामग्री की प्राप्ति करते समय इस मामले मे सावधान रहना चाहिए।

ट्रांसफॉर्मर का निष्पादन

3.1.10 वितरण ट्रांसफॉर्मर एक महत्वपूर्ण उपकरण है एवं यह विद्युत वितरण नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं किसी भी प्रकार की विफलता से ना केवल उपक्रम को वित्तीय हानि होती है बल्कि आपूर्ति में व्यवधान भी डालता है। वितरण ट्रांसफॉर्मर के प्रबन्धन तंत्र मरम्मत एवं रख-रखाव, निस्तारण/निपटान की प्रणाली की 2015-18 में समीक्षा के लिए 12 उपखण्ड (जेवीवीएनएल में तीन[22] परिचालन एवं रख रखाव (ओ एण्ड एम) वृत्तों/एसीओएस के छः[23] उपखण्ड एवं जेडीवीवीएनएल में तीन[24] ओ एण्ड एम वृत्तों/ऐसीओएस में छः उपखण्डों[25]) को परीक्षण जांच हेतु चुना गया जिसमे निम्नलिखित अवलोकन देखे गये :

3.1.11 वितरण ट्रांसफॉर्मर की उच्च विफलता दर

वितरण ट्रांसफॉर्मर की उच्च विफलता दर कारको के संयोजन के कारण जैसे वितरण ट्रांसफॉर्मर पर अधिक लोड, अनुचित अर्थिंग एवं सुरक्षा, अनुचित फ्यूज, अपर्याप्त रख रखाव इत्यादि के कारण होती है। उचित विश्वसनीयता हेतु ऊर्जा मंत्रालय (एम ओ पी) द्वारा डीटी की विफलता दर 1.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम इंगित की गई थी।

जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल में 2015-16 से 2017-18 के दौरान स्थापित वितरण ट्रांसफॉर्मर की संख्या, विफल वितरण ट्रांसफॉर्मर एवं डीटी की विफलता दर निम्नलिखित तालिका मे इंगित है :

---

22 अलवर, जयपुर जिला व भरतपुर।

23 मुंडावर, बानसूर, विराटनगर, बस्सी, नदबई व बयाना।

24 जोधपुर जिला, बीकानेर जिला व जालौर।

25 बालेसर, डेचु, बज्जु, लूनकरणसर, भडराना व सांचौर।

क्रम सं.	विवरण	जेवीवीएनएल			जेडीवीवीएनएल		
		2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2016-17	2017-18
1	स्थापित वितरण ट्रांसफॉर्मर की संख्या	558061	602179	643044	376295	402202	414767
2	**विफल ट्रांसफॉर्मर की संख्या**						
i	गारन्टी अवधि[26] में	38079	36793	32165	14845	12405	14654
ii	गारन्टी अवधि पार	33640	35317	31332	23434	19823	23934
	कुल	**71719**	**72110**	**63497**	**38279**	**32228**	**38588**
3	**वितरण ट्रांसफॉर्मर की विफलता दर (प्रतिशत)**						
i	गारन्टी अवधि में	6.82	6.11	5.00	3.95	3.08	3.53
ii	गारन्टी अवधि पार	6.03	5.86	4.87	6.23	4.93	5.77
	कुल	**12.85**	**11.97**	**9.87**	**10.18**	**8.01**	**9.30**

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2015-18 के दौरान जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल में वितरण ट्रांसफॉर्मर की विफलता दर ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम विफलता दर से काफी अधिक थी क्योंकि समग्र विफलता दर क्रमशः 9.87 एवं 12.85 प्रतिशत एवं 8.01 प्रतिशत एवं 10.18 प्रतिशत के मध्य थी। जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल के चयनित उपखण्डों में उपखण्ड वार विफलता दर वर्ष 2015-16 से 2017-18 की स्थिति **अनुबंध 12** में दर्शाई गई है। हमने पाया कि डिस्कॉम्स ने ट्रांसफॉर्मर की विफलता की प्रवृति को नियंत्रित करने के लिए ट्रांसफॉर्मर की विफलता के कारणो का विश्लेषण नहीं किया। डिस्कॉम्स ने उच्च विफलता दर वाले ट्रांसफॉर्मर की विक्रेतावार विफलता दर नहीं निकाली एवं विश्लेषण भी नहीं किया जिससे वितरण ट्रांसफॉर्मर विक्रेताओं की पहचान एवं ब्लैकलिस्ट किया जा सके।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (जुलाई/सितम्बर 2018) किया एवं बताया कि उच्च विफलता दर अधिभारित, अर्थिंग एवं आंतरिक विनिर्माण दोष के कारण थी एवं इसके अतिरिक्त नये स्थापित वितरण ट्रांसफॉर्मर को संबंध भार की बजाय संबंध उपभोक्ताओं की संख्या को आधार मानना था। आगे कहा गया कि कम्पनियों ने 2017-18 से विफलता दर को नियंत्रित करने के लिए एमसीसीबी[27] स्थापित कर डीटी की पुनर्संरचना प्रारम्भ कर दी है, नये वितरण ट्रांसफॉर्मर संबंध भार के आधार पर स्थापित किये जा रहे है एवं डीडीयूजीजेवाई[28] के तहत अधिक संख्या में वितरण ट्रांसफॉर्मर स्थापित किये गये है जिससे विफलता दर में कमी आयेगी। हालांकि विशेष आपूर्तिकर्ताओं से निम्न श्रेणी के वितरण ट्रांसफॉर्मर की प्राप्ति को रोकने के लिए विक्रेतानुसार विफलता दर बनाने एवं विश्लेषण करने के लिए तंत्र तैयार करने के मुद्दे पर, उत्तर मौन था।

---

26 वितरण ट्रांसफॉर्मर के प्रापण से संबंधित बोली/अनुबंध में आपूर्ति की दिनांक से 60 माह तक की गारण्टी अवधि का प्रावधान है।

27 मौउलडेड केस सर्किट ब्रेकर ।

28 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ।

3.1.12 *ट्रांसफॉर्मर पर स्वीकृत / जुडे भार को सुनिश्चित किये बिना नये कनेक्शन जारी करना*

डिस्कॉम्स उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणीयों के नए कनेक्शन/भार विस्तार जारी करने के लिए विभिन्न क्षमता के वितरण ट्रांसफॉर्मर स्थापित करते है। जारी किये जाने वाले प्रस्तावित कनेक्शनों की भार-आवश्यकता के निर्धारण के बाद वितरण ट्रांसफॉर्मर की क्षमता विस्तार / नये ट्रांसफॉर्मर की स्थापना डिस्कॉम्स द्वारा की जानी चाहिये थी।

सिंगल फेस नये कनेक्शन / भार विस्तार जारी करने से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि डिस्कॉम्स ने स्वीकृत / जुडे भार के बजाय मौजूदा/प्रस्तावित कनेक्शनों की संख्या के आधार पर, आवश्यक वितरण ट्रांसफॉर्मर की क्षमता का आकलन करने के लिए तकनीकी अनुमान तैयार किये। इस प्रकार डिस्कॉम्स ने वितरण ट्रांसफॉर्मर की क्षमता बढ़ाई / स्थापित किये एवं नये कनेक्शन जारी किये एवं मौजूदा कनेक्शनों का भार विस्तार, वितरण ट्रांसफॉर्मर के विद्यमान/प्रस्तावित भार निर्धारण का आंकलन किये बिना किया जिससे बाद में ट्रांसफॉर्मर की ओवरलोडिंग एवं विफलता हुई।

हालांकि, ट्रांसफॉर्मर की विफलता पर ओवरलोडिंग के प्रभाव की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि डिस्कॉम्स ने ट्रांसफॉर्मर की विफलताओं के अभिलेख नहीं बनाए एवं ट्रांसफॉर्मरवाइज डाटा का विश्लेषण नहीं किया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (जुलाई 2018) किया कि सिंगल फेस वितरण ट्रांसफॉर्मर की स्थापना संबंध उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर की गई जिससे वितरण ट्रांसफॉर्मर ओवरलोडिंग एवं उच्च विफलता दर हुई। आगे कहा गया कि वर्ष 2018-19 से यह प्रथा बंद कर दी है एवं वर्तमान में नयें वितरण ट्रांसफॉर्मर की क्षमता का निर्धारण वास्तविक संबंधित भार से किया जाता है।

इसने आगे कहा (सितम्बर 2018) कि उपकरण की अनाधिकृत क्रियाविधि को रोकने के लिये ट्रांसफार्मर्स की ऊंचाई भी बढाई गई। जिन उपभोक्ताओं ने वोल्यूंट्री लोड डिस्कलोजर स्कीम के तहत अपना लोड बता दिया था उन उपभोक्ताओं के लिये ट्रांसफॉर्मर की क्षमता भी बढाई गई है।

ट्रांसफॉर्मर में विस्फोट के कारण हुई क्षति की क्षतिपूर्ति का भुगतान

वितरण निगम कृषि श्रेणी उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन जारी करते है जिसके लिए आशान्वित भार / कृषि उपभोक्ताओं की आवश्यकता के दृष्टिगत ट्रांसफॉर्मर स्थापित करने की आवश्यकता होती है। कृषि उपभोक्ताओं के मामले में, सामान्यतः व्यक्तिगत कृषि कनेक्शन अलग ट्रांसफॉर्मर की स्थापना के माध्यम से जारी किये जाते है। इसलिए वितरण निगमों से कृषि कनेक्शन के लिए स्थापित ट्रांसफॉर्मर पर भार की निगरानी करने एवं ट्रांसफॉर्मर पर ओवरलोडिंग रोकने के लिए कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है।

अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, हमने जयपुर जिलावृत के विराटनगर उपखण्ड के तहत गुर्जरपुरा में जारी कृषि कनेक्शन का एक मामला देखा जिसमें जेवीवीएनएल ने 16 केवीए ट्रांसफॉर्मर स्थापित करके कृषि उपभोक्ता को कनेक्शन जारी किया जो 24 दिसम्बर 2016 को विफल हो गया। कम्पनी ने 16 केवीए का नया ट्रांसफॉर्मर तुरन्त (24 दिसम्बर 2016) बदल दिया हालांकि, ट्रांसफॉर्मर की विफलता के कारणो के अभिलेख में नहीं पाये गये। तत्पश्चात, पुनः स्थापित ट्रांसफॉर्मर (16 केवीए) भी छः माह (10 मई 2017) मे विफल हो गया एवं कम्पनी ने दर्ज किया कि ट्रांसफॉर्मर पर वास्तविक भार स्वीकृत भार (15 एचपी) से बढ़कर (27.31 एचपी/ 22.64 किलोवाट) हो गया था। कम्पनी ने उपभोक्ता को 30 दिन में भार विस्तार हेतु नोटिस जारी किया (10 मई 2017) लेकिन उपभोकता ने इस तरह के विस्तार हेतु आवेदन नहीं किया था। इसी बीच, इस बार कम्पनी ने

फिर से 25 केवीए ट्रांसफॉर्मर से प्रतिस्थापित कर दिया (18 मई 2017)। कम्पनी को जले हुए मीटर की शिकायत प्राप्त (4 सितम्बर 2017) हुई एवं शिकायत का निवारण मीटर प्रतिस्थापित करके किया गया (24 अक्टूबर 2017)। तत्पश्चात, प्रतिस्थापित ट्रांसफॉर्मर (25 केवीए) में विस्फोट हो गया (31 अक्टूबर 2017) जो 21 लोगों की मौत का कारण बना। कम्पनी ने मृतकों के परिवारों को तत्काल राहत/मुआवजे हेतु ₹ 1.05 करोड़ का भुगतान जारी किया। कम्पनी ने लंबित जाँच का हवाला देते हुए घटना से सम्बन्धित रिकॉर्ड/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये एवं कहा कि मामला न्यायाधीन है।

हमने देखा कि कम्पनी ने पिछले उदाहरणों पर ट्रांसफॉर्मर को अधिभारित करने के लिए उपभोक्ता के विरूद्ध उचित कार्रवाई नहीं की थी। बिना संबंधित उपभोक्ता से आवेदन प्राप्त होने के उपभोक्ता के लोड को नियमित करने के लिये कोई तंत्र नही था। इस प्रकार, कम्पनी ने ट्रांसफॉर्मर पर ओवरलोडिंग को रोकने के लिए किसी भी तंत्र को विकसित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ऐसे घातक हादसे हुए।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकारा (जुलाई 2018) एवं कहा कि संबन्धित उपभोक्ता से आवेदन पत्र प्राप्त किये बिना भार-विस्तार के लिए सतर्कता जाँच आयोजित की गई। आगे कहा कि जयपुर जिला वृत्त में सभी उपभोक्ताओ (5 एच पी एवं अधिक) के लोड की जांच करके नियमित किया जा चुका है।

आगे यह कहा गया (सितम्बर 2018) कि कोर्ट केस का निपटान हो चुका है एवं माननीय उच्च न्यायालय में जुलाई 2018 में निरस्त कर दिया है। हालांकि अन्य वृत्तों में समान जाँच नहीं किये जाने के कारणों से अवगत नहीं कराया गया। फिर भी जेवीवीएनएल ने इस मामले में इसके द्वारा की गई जाँच का परिणाम सूचित नहीं किया है। **(नवम्बर 2018)**

3.1.13 *ट्रांसफॉर्मर मूवमेन्ट पत्र (टीएमसी)/ विवरण पत्र का रख-रखाव ना करना*

विशिष्ट ट्रांसफॉर्मर के निष्पादन एवं निगरानी कार्य के आंकलन के लिए, कम्पनियों (जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल) को ट्रांसफॉर्मर मूवमेंट पत्र (टीएमसी) / *विवरण पत्र*/ किसी अन्य रूप में जिसमें आवश्यक जानकारी हो जैसे ट्रांसफॉर्मर मूवमेंट के सम्बन्ध में मदवार आंकड़े/ सूचना जैसे प्राप्ति की दिनांक, स्थापना, रख-रखाव, विफलता, मरम्मत, पुनः स्थापना एवं मूवमेंट आदि रखने की आवश्यकता थी। हालांकि कम्पनियों ने ट्रांसफॉर्मर के मदवार मूवमेंट को दर्ज करने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की। ट्रांसफॉर्मर के मदवार अभिलेख के रख-रखाव के अभाव में कंपनियां अपने ट्रांसफॉर्मर की स्थिति की पहचान/उपलब्ध नहीं करा सकी।

इसके अतिरिक्त, कम्पनियां फर्मानुसार ट्रांसफॉर्मर की विफलता, निर्धारित समयावधि में ट्रांसफॉर्मर के मरम्मत की प्राप्ति ,विफल वितरण ट्रांसफॉर्मर का आपूर्तिकर्ता के पास पड़े रहने के विश्लेषण की स्थिति में नहीं थी।

सरकार ने कहा (जुलाई 2018) कि कनिष्ठ अभियंता अपने द्वारा स्थापित डीटी से सम्बन्धित विवरण रखता है। इसके अतिरिक्त विफल एवं मरम्मत किये गये डीटी के आपूर्तिकर्तावार विश्लेषण हेतु संबंधित एसीओएस सक्षम है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चयनित एसीओएस एवं उपखण्डों की लेखापरीक्षा में देखा गया कि न तो संबंधित कनिष्ठ अभियंता ने स्थापित डीटी का ऐसा अभिलेख बनाया एवं न ही संबंधित एसीओएस ने विफल/मरम्मत किये डीटी का आपूर्तिकर्तावार विश्लेषण किया था।

सरकार ने आगे कहा (सितम्बर 2018) कि स्टोर मदवार (ट्रांसफार्मर्स सहित) डाटा बनाने के लिये ईआरपी को अपनाने की प्रक्रिया चल रही है।

विफल ट्रांसफॉर्मर का निपटान

3.1.14 डिस्कॉम्स समन्वय मंच (डीसीएफ) के निर्णय (15 जनवरी 2010) के अनुसार कम्पनी (जेवीवीएनएल) ने राज्य के सभी तीनों डिस्कॉम्स को निर्देश जारी (29 जनवरी 2010) किये जिसमें निम्न सम्मिलित थेः-

- क्षेत्र के कनिष्ठ अभियंता एवं मुख्य लेखा नियंत्रक को संयुक्त रूप से रिपोर्ट तैयार करने एवं ट्रांसफॉर्मर को इसकी विफलता के 72 घंटे के भीतर उपखण्डों में जमा करवाना आवश्यक है।
- सहायक अभियंता (संचालन एवं रख-रखाव) को उसी दिन डीटी की विफलता के बारे में संबंधित आपूर्तिकर्ता को टेलीग्राफिक रूप से सुचित करने एवं सात दिनों की अवधि के भीतर उपर्युक्त सत्यापित रिपोर्ट के साथ संबंधित स्टोर मे विफल ट्रांसफॉर्मर को जमा कराना आवश्यक था।
- डीटी प्राप्त करते समय एसीओएस ट्रांसफॉर्मर की दशा, पूर्जो/तेल स्तर की उपलब्धता, आदि को सत्यापित करेगा। एसीओएस संबंधित आपूर्तिकर्ता को ऐसे डीटी की प्राप्ति के 24 घंटों के भीतर असफल डीटी की विफलता एवं मरम्मत के बारे में सूचित करेंगें।

इसके अतिरिक्त, दोनों कम्पनियों ने समय-समय पर आदेश जारी किये ताकि गारन्टी अवधि में विफल होने वाले ट्रांसफॉर्मर के जमा/निपटान के संबंध में उपर्युक्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके।

3.1.15 *विफल ट्रांसफॉर्मर जमा कराने में देरी*

यह देखा गया कि डिस्कॉम्स ने विशिष्ट ट्रांसफॉर्मर से संबंधित कार्यप्रणाली को चिन्हित करने का कोई तंत्र विकसित नहीं किया। ट्रांसफॉर्मर से संबंधित रख-रखाव के अभिलेख भी व्यवस्थित नहीं थे। उचित एवं समेकित अभिलेखों की अनुपस्थिति में हमने ट्रांसफार्मर्स की विफलता, जमा एवं ट्रांसफॉर्मर के निपटान की समीक्षा चयनित उपखण्डों में तीन महीने यानि मई 2015, मई 2016 एवं मई 2017 के लिए की।

निम्नलिखित तालिका चयनित अवधि में चयनित उपखण्डों में विफल ट्रांसफॉर्मर की संख्या (गारन्टी अवधि में/गारन्टी अवधि पार), एवं उपखण्ड कार्यालयों द्वारा विफल ट्रांसफॉर्मर की संबंधित स्टोर में जमा इंगित करता है :

कम्पनी एवं उपखण्ड	विफल ट्रांसफॉर्मर्स (संख्या में)			ट्रांसफॉर्मर्स जमा (संख्या में)				अधिकतम देरी[29] (दिनों में)
	गारन्टी अवधि[30] में	गारन्टी अवधि[31] पार	कुल	निर्धारित समय में	देरी से	उपखण्ड में पड़े	ब्यौरा/ अभिलेख अनुपलब्ध	
जेवीवीएनएल								
मुंडावर	185	201	386	51	224	27	84	760
बानसुर	230	204	434	0	0	10	424	उपलब्ध नही

29 जमा किये गये डीटी में देरी की गणना सात दिनों की अवधि छोड़ कर की गई है।

30 गारंटी अवधि के भीतर ।

31 गारंटी अवधि से परे ।

विराटनगर	136	176	312	64	248	-	0	96
बस्सी	70	112	182	33	149	-	0	932
नदबई	86	100	186	43	110	-	33	643
बयाना	83	82	165	24	67	-	74	160
कुल	**790**	**875**	**1665**	**215**	**798**	**37**	**615**	
जेडीवीवीएनएल								
बालेसर	79	88	167	36	129	-	2	111
डेचू	133	126	259	70	189	-	-	224
बज्जू	46	उपलब्ध नही[32]	46	0	46	-	-	198
लूनकरणसर	90	उपलब्ध नहीं	90	0	90	-	-	305
भदारणा	130	76	206	30	176	-	-	494
सांचौर	62	151	213	61	152	-	-	26
कुल	**540**	**441**	**981**	**197**	**782**	**-**	**2**	

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल के चयनित उपस्थण्डों में क्रमशः 1665 ट्रांसफॉर्मर मे से 790 एवं 981 में से 540 ट्रांसफॉर्मर्स गारन्टी अवधि में विफल हुए जबकि शेष ट्रांसफॉर्मर क्रमशः 875 एवं 441 गारन्टी अवधि पार विफल हुए। आगे जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल के चयनित उपस्थण्डों से संबंधित वृत स्टोर में समय पर क्रमशः 12.91 प्रतिशत (215 संख्या) एवं 20.08 प्रतिशत (197 संख्या) विफल ट्रांसफॉर्मर ही जमा करवाये गये। इसके अतिरिक्त 47.93 प्रतिशत (798 संख्या) एवं 79.71 प्रतिशत (782 संख्या) विफल हुए ट्रांसफार्मर्स क्रमशः 932 एवं 494 दिनों की देरी से जमा करवाये गये। जेवीवीएनएल के अलवर वृत के मुंडावर एवं बानसूर उपस्थण्डों में ट्रांसफॉर्मर्स की विफलता के दस माह व्यतीत होने के तत्पश्चात भी 37 विफल ट्रांसफॉर्मर्स (नौ ट्रांसफॉर्मर टूटे टैंक सहित) संबंधित उपस्थण्डों में पड़े थे (मार्च 2018)। इस प्रकार उपस्थण्डों ने विफल ट्रांसफॉर्मर्स जमा कराने के लिये जारी किये गये निर्देशों का पालन नहीं किया। यह ये भी इंगित करता है कि उपस्थण्ड में विफल ट्रांसफॉर्मर्स को स्टोर में जमा करवाने की तत्परता का अभाव था।

जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल के शेष क्रमशः 615 एवं दो विफल ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में उपस्थण्ड ने वृत भंडार में जमा करवाने के बारे में सूचित किया परन्तु उपस्थण्ड द्वारा ट्रांसफॉर्मर जमा करवाने से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड/विवरण/सामग्री क्रेडिट नोट (एमसीएम) नहीं बनाये/उपलब्ध कराये गये। इसके अतिरिक्त, जेडीवीवीएनएल के बीकानेर वृत में बज्जू एवं लूनकरणसर उपस्थण्डों ने गारण्टी अवधि पार विफल ट्रांसफॉर्मर्स की विफलता एवं जमा करवाने के कोई रिकार्ड / विवरण नहीं बनाया। यह इंगित करता है कि रिकॉर्ड का रख-रखाव उचित नहीं था एवं विफल ट्रांसफॉर्मर्स की स्थिति की निगरानी सुनिश्चित नहीं की गई थी।

सरकार ने कहा (जुलाई 2018) कि गारन्टी अवधि में विफल ट्रांसफॉर्मर की प्रतिस्थापना एवं गारन्टी अवधि पार विफल (बीजीपी) ट्रांसफार्मर्स की समय पर मरम्मत सुनिश्चित करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों को यह निर्देश जारी कर दिये गये (मई 2018) है कि जले हुए/विफल हुए ट्रांसफॉर्मर के विरुद्ध नया ट्रांसफॉर्मर, जले हुए/विफल हुए ट्रांसफॉर्मर के जमा करवाने के

32 रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं।

पश्चात ही जारी किये जाये। इसके अतिरिक्त, विफल ट्रांसफॉर्मर जमा करवाने के लिए समय-सारिणी के पालन करने के निर्देश जारी किये गये।

सरकार ने आगे कहा (सितंबर 2018) कि जेडीवीवीएनएल ने विफल हुए ट्रांसफार्मर्स को एसीओएस में जमा करवाने के लिये एक विशेष अभियान चलाया था जिससे स्टोर में पड़े मरम्मत रहित ट्रांसफार्मर्स की संख्या में कमी आयी है। जेडीवीवीएनएल ने बचे विफल ट्रांसफार्मर्स को उठाने में चूक करने वाले आपूर्तिकर्त्ताओं को नोटिस भी जारी किये थे।

3.1.16 *गारन्टी अवधि पार विफल ट्रांसफॉर्मर्स की मरम्मत /निपटान की निगरानी की दोषयुक्त प्रणाली*

जेवीवीएनएल के तीन चयनित एसीओएस में गारन्टी अवधि पार ट्रांसफॉर्मर्स के प्रकरण में, केवल जयपुर जिला वृत में दो चयनित उपस्वण्डों[33] में ट्रांसफॉर्मर्स स्टोर में जमा कराने की स्थिति उपलब्ध करवा सके जबकि शेष दो एसीओएस (अलवर एवं भरतपुर) ने सूचित किया कि गारन्टी अवधि पार एवं एसीओएस में जमा समस्त विफल ट्रांसफॉर्मर स्क्रेप में बेच दिये गये। हालांकि इसका लेखापरीक्षा में सत्यापन नही किया जा सका क्योंकि एसीओएस उनके नियंत्रण में चयनित उपस्वण्डों का, इन ट्रांसफार्मर्स के निपटान से संबंधित रिकार्ड प्रस्तुत नही कर सके।

जेडीवीवीएनएल के प्रकरण में हमने देखा कि लूनकरणसर उपस्वण्ड द्वारा 10 नमूना जांच के प्रकरणों में से चार में तैयार की गई विफलता रिपोर्ट एवं एसीओएस बीकानेर द्वारा रखे गये रिकार्ड में ट्रांसफार्मर्स की विफलता की तारीख अलग-अलग थी। इस प्रकार बनाये गये अभिलेख विश्वसनीय नहीं थे। इसके अतिरिक्त, जोधपुर जिला वृत्त के तहत ढ़ेचू उपस्वण्ड ने ट्रांसफॉर्मर विफलता रिपोर्ट (टीएफआर) प्रस्तुत करवाने के बारे में कोई अभिलेख नहीं बनाये थे एवं इस प्रकार ट्रांसफॉर्मर विफलता की स्थिति को सत्यापित नहीं किया जा सका।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (जुलाई 2018) किया एवं कहा कि अभिलेखों की एकरूपता सुनिश्चित करने, बीजीपी विफल ट्रांसफॉर्मर के अभिलेख बनाने एवं ऐसे ट्रांसफॉर्मर को संबंधित एसीओएस में जमा करवाने के निर्देश जारी किये जा चुके है। आगे कहा कि जेवीवीएनएल मे, थ्री फेज वाले गारंटी अवधि पार विफल ट्रांसफार्मर्स का निपटान नीलामी द्वारा किया जा चुका है। जबकि अन्य प्रकरणों में ऐसे ट्रांसफार्मर्स का या तो नीलामी से निपटान किया जा चुका है या समय-समय पर आवश्यकतानुसार मरम्मत कर ली गई है। आगे, रोजाना निरीक्षण प्रपत्र जारी किये गये है एवं मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया जाता है। परंतु उत्तर, जेवीवीएनएल के तीन मे दो चयनित एसीओएस (अलवर एवं भरतपुर) द्वारा बीजीपी विफल ट्रांसफार्मर्स का रिकार्ड प्रस्तुत ना करने के संबंध में मौन है।

3.1.17 *गारन्टी अवधि में विफल ट्रांसफॉर्मर के उठाने/ मरम्मत में देरी*

यदि ट्रांसफॉर्मर गारन्टी अवधि में विफल होता है तो ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत का दायित्व आपूर्तिकर्ता का है। दोनों कम्पनियों द्वारा जारी किये गये क्रयादेशों में प्रावधान था कि आपूर्तिकर्ता को सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर ट्रांसफॉर्मर को स्टोर से उठाना होगा एवं अगले 60 दिनों में मरम्मत के बाद इन्हें सुपुर्द करना होगा। इसके अतिरिक्त, विफलता के मामले में ट्रांसफॉर्मर्स की लागत बिलों में से रोक देनी है। इसके अतिरिक्त यदि आपूर्तिकर्त्ता

33 विराटनगर व बस्सी ।

निर्धारित अवधि के भीतर उचित मरम्मत के बाद ट्रांसफॉर्मर सुपुर्द करने में विफल रहता है तो प्रति सप्ताह 1/2 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत दंड लगाया जाना आवश्यक है। दोनों कम्पनियों को यह निगरानी करने की आवश्यकता है कि विफल ट्रांसफॉर्मर उठाये जा रहे हैं एवं मरम्मत किये गये ट्रांसफॉर्मर संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा समय पर वापिस सुपुर्द किये जा रहे है।

जेवीवीएनएल

गारन्टी अवधि में विफल ट्रांसफॉर्मर उपस्खण्ड द्वारा संबंधित एसीओएस में जमा कराये जाते थे एवं इसके बाद एसीओएस, जयपुर सिटी वृत्त के केन्द्रीय भण्डार में इकट्ठे किये जाते थे। तब विफल ट्रांसफॉर्मर संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा केन्द्रीय भण्डार से उठाये जाते थे एवं आवश्यक मरम्मत करने के पश्चात वापिस सुपुर्द किये जाते थे। केन्द्रीय भण्डार में विफल ट्रांसफॉर्मर को जमा कराने की प्रणाली को 1 जुलाई 2017 से बंद कर दिया गया। तब से विफल ट्रांसफॉर्मर संबंधित एसीओएस में जमा किये जाते है।

उपस्खण्डों द्वारा जमा कराये गये ट्रांसफॉर्मर्स, आपूर्तिकर्ता द्वारा उठाये गये एवं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अप्रैल 2015 से जून 2017 में वापिस सुपुर्द किये गये विफल ट्रांसफॉर्मर की स्थिति एवं 2015-18 के दौरान केन्द्रीय भण्डार/आपूर्तिकर्ताओ के पास पड़े विफल ट्रांसफॉर्मर का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष **अनुबंध-13** में दर्शाया गया है। अनुबंध में 14 प्रमुस्व आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत में देरी की आपूर्तिकर्ता वार स्थिति भी सम्मिलित है।

अनुबंध से देस्वा जा सकता है कि 1 अप्रैल 2015 को जेवीवीएनएल के केन्द्रीय भण्डार में गारन्टी अवधि में विफल 23129 ट्रांसफॉर्मर्स बिना मरम्मत के पड़े थे। 1 अप्रैल 2015 से 30 जून 2017 तक, 82240ओर विफल ट्रांसफॉर्मर्स केन्द्रीय भण्डार में जमा कराये गये। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2015 को 12376 गारन्टी अवधि में विफल ट्रांसफॉर्मर्स आपूर्तिकर्त्ताओं के पास बिना मरम्मत पड़े थे।

हमने विफल ट्रांसफॉर्मर को उठाने/ मरम्मत में निम्नलिस्वित कमियाँ देस्वी :-

1. जेवीवीएनएल के केन्द्रीय भण्डार में 30.6.2017 तक कुल 105369 एकत्रित ट्रांसफॉर्मर्स में से, आपूर्तिकर्ताओं ने मार्च 2018 तक केवल 92.28 प्रतिशत (97230 संस्था) उठाये जबकि शेष 7.72 प्रतिशत (8139 संस्था) ट्रांसफॉर्मर्स उठाये नहीं गये एवं विफल ट्रांसफॉर्मर के केन्द्रीय भण्डार में जमा करवाने की व्यवस्था को बन्द (1 जुलाई 2017) होने के बावजूद 31 मार्च 2018 तक केन्द्रीय भण्डार में पड़े थे।
2. आपूर्तिकर्ताओं ने उठाये गये कुल ट्रांसफॉर्मर (109606 मे से 98840) में से मात्र 90.18 प्रतिशत मरम्मत किये एवं वापिस किये जबकि शेष 9.82 प्रतिशत (10766 संस्था) ट्रांसफॉर्मर आपूर्तिकर्ताओं के पास पड़े थे (मार्च 2018)।
3. अनुबंध में दर्शाये अनुसार 1 अप्रैल 2015 को 14 प्रमुस्व आपूर्तिकर्ताओं के पास 8611 ट्रांसफार्मर्स पडे थे। आगे इन आपूर्तिकर्त्ताओ ने 2015-18 अवधि में 68158 ट्रांसफार्मर्स उठाये। कुल 76769 ट्रांसफार्मर्स में से इन आपूर्तिकर्त्ताओं ने केवल 12430 ट्रांसफार्मर्स (16.19 प्रतिशत) समय पर मरम्मत एवं वापिस किये जबकि 56173 ट्रांसफार्मर्स (73.17 प्रतिशत) देरी से मरम्मत किये जैसा कि **अनुबंध-13** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, 13860 ट्रांसफॉर्मर बिना मरम्मत पड़े रहे क्योंकि

इन आपूर्तिकर्ताओं के केन्द्रीय भण्डार एवं आपूर्तिकर्ताओं के पास क्रमशः 5694 एवं 8166 ट्रांसफॉर्मर्स पड़े हुए थे।

4. ट्रांसफॉर्मर्स की मरम्मत में असामान्य विलम्ब के बावजूद, जेवीवीएनएल ने इन 14 आपूर्तिकर्ताओं से मार्च 2018 तक वसूली योग्य राशी निर्धारित नहीं की।

5. आपूर्तिकर्ताओं ने गारन्टी अवधि में विफल ट्रांसफॉर्मर्स की मरम्मत करने से यह कहते हुए मना (अक्टूबर 2017) कर दिया कि ये ट्रांसफॉर्मर्स अनुचित रक्तरस्राव/अधिभार से विफल हुए जो कि विनिर्माण दोष के तहत सम्मिलित नहीं थे। आपूर्तिकर्ताओं ने दंड की छूट के लिए भी बातचीत की क्योंकि जेवीवीएनएल यह साबित करने के प्रमाणित दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया कि ट्रांसफॉर्मर्स विनिर्माण दोष के कारण विफल हुए है। मामला अनसुलझा रहा (मार्च 2018)। यह इंगित करता है कि जेवीवीएनएल ने आपूर्तिकर्ताओं के साथ टकराव से बचने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स की विफलता के कारणों की पहचान करने एवं साबित करने हेतु उचित तंत्र नहीं बनाया था।

जेडीवीवीएनएल

जेडीवीवीएनएल के प्रकरण में, विफल ट्रांसफॉर्मर संबंधित एसीओएस में उपस्खण्डों द्वारा जमा कराये जाते है एवं आपूर्तिकर्ता विफल ट्रांसफॉर्मर्स को उठाता है एवं मरम्मत किये गये ट्रांसफॉर्मर्स संबंधित एसीओएस को वापिस सुपुर्द किये जाते है।

निम्न तालिका उपस्खण्डों द्वारा जमा किये गये विफल ट्रांसफॉर्मर की स्थिति, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उठाये गये, मरम्मत किये गये एवं वापिस सुपुर्द किये गये एवं चयनित एसीओएस से संबंधित एसीओएस/आपूर्तिकर्ता के पास पड़े ट्रांसफॉर्मर की 2015-18 अवधि की स्थिति दर्शाता है :

क्र.स.	विफल ट्रांसफार्मर्स की स्थिति	एसीओएस बीकानेर जिला	एसीओएस जोधपुर[34]	एसीओएस जालौर	कुल
1.	उपस्खण्डों द्वारा जमा	6419	2932	4532	13883
2	**आपूर्तिकर्ता द्वारा उठाये गये**				
	समय सारणी में	2647	785	1742	5174
	समय सारणी के पश्चात	2758	862	1801	5421
	कुल	**5405**	**1647**	**3543**	**10595**
3.	आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा उठाये गये ट्रांसफॉर्मर्स का प्रतिशत (3=2/1×100)	84.20	56.17	78.17	76.32
4.	**आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मरम्मत एवं वापिस सुपुर्द**				
	समय सारणी में	915	65	579	1559
	समय- सारणी के पश्चात	2630	219	1422	4271
	कुल	**3545**	**284**	**2001**	**5830**
5.	आपूर्तिकर्ताओं के पास पड़े (2-4)	1860	1363	1542	4765
6.	एसीओएस के पास पड़े (1-2)	1014	1285	989	3288
7.	उपस्खण्डों द्वारा जमा की तुलना में एसीओएस के पास ट्रांसफॉर्मर का प्रतिशत (7=6/1×100)	15.80	43.83	21.82	23.68

34 इस संस्था में सिर्फ 2017-18 के आंकड़े सम्मिलित है क्योंकि 2015-17 अवधि के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

8.	**ट्रांसफॉर्मर उठाने अधिकतम देरी (दिनों में)**	**819**	**238**	**988**	**988**
8अ	ट्रांसफॉर्मर्स को उठाने में देरी का विश्लेषण (दिनों में)				
	तीन माह तक	1704	539	1010	3253
	तीन से छः माह तक	590	264	367	1221
	छः माह से एक वर्ष तक	387	59	262	708
	एक वर्ष से अधिक	77	0	162	239
	कुल मामले	**2758**	**862**	**1801**	**5421**
9	ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत में अधिकतम देरी (दिनों में)	485	140	695	695
9अ	**ट्रांसफॉर्मर्स की मरम्मत में देरी का विश्लेषण (दिनों में)**				
	तीन माह तक	1697	216	989	2902
	तीन से छः माह तक	678	3	266	947
	छः माह से एक वर्ष तक	215	0	105	320
	एक वर्ष से अधिक	40	0	62	102
	कुल मामले	**2630**	**219**	**1422**	**4271**

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि जेडीवीवीएनएल ने गारन्टी अवधि में विफल ट्रांसफॉर्मर की समयबद्व उठाने एवं मरम्मत को सुनिश्चित नहीं किया क्योंकि आपूर्तिकर्ताओं ने 2015-18 के दौरान तीन एसीओएस में कुल विफल ट्रांसफॉर्मर का 76.32 प्रतिशत (13883 में से 10595) उठाये। इसके अतिरिक्त आपूर्तिकर्ताओं ने विफल ट्रांसफॉर्मर्स को निर्धारित समय-सीमा में उठाने एवं मरम्मत करने का पालन नहीं किया क्योंकि कुल 10595 विफल ट्रांसफॉर्मर में से 51.17 प्रतिशत (5421 संस्था) ट्रांसफार्मर्स देरी से उठाये जो कि 3253 प्रकरणों में तीन महीने तक से लेकर, 239 प्रकरणों में एक वर्ष से अधिक थी एवं 40.31 प्रतिशत (4271 संस्था) ट्रांसफार्मर्स के 2902 प्रकरणों में तीन महीने तक से लेकर, 102 प्रकरणों में एक वर्ष से अधिक की देरी से मरम्मत किये गये।

हमने आगे देखा कि जेडीवीवीएनएल में गारन्टी अवधि में विफल ट्रांसफॉर्मर की समयबद्व मरम्मत सुनिश्चित करने की आवश्यक निगरानी प्रणाली का अभाव था। विफल एवं एसीओएस में जमा 13883 ट्रांसफॉर्मर्स में से आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मात्र 11.22 प्रतिशत (1559 संस्था) निर्धारित समयसीमा में मरम्मत किये जबकि 58 प्रतिशत (8053 डीटी[35]) ट्रांसफॉर्मर आपूर्तिकर्ताओं एवं एसीओएस के पास बिना मरम्मत किये पड़े थे (मार्च 2018)।

हमने देखा कि गारन्टी अवधि में विफल ट्रांसफॉर्मर्स को जमा करवाने में दोनों कम्पनियों (जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल) के उपखण्ड तत्पर नहीं थे। इसके अतिरिक्त, दोनों कम्पनियों में ट्रांसफॉर्मर विफल की प्रारंभिक सूचना देने के बाद ऐसे ट्रांसफार्मर्स को समय पर उठाने एवं मरम्मत करवाने के लिये आपूर्तिकर्त्ताओं पर दबाव बनाने की उचित व्यवस्था/तंत्र का अभाव था।

विफल ट्रांसफॉर्मर्स की जमा, उठाने एवं मरम्मत में देरी के कारण, दोनों कम्पनियों को विद्युत की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक ट्रांसफॉर्मर्स की व्यवस्था करनी पड़ती थी। ऐसे ट्रांसफॉर्मर की प्रभावी गारन्टी अवधि ट्रांसफॉर्मर जमा करने में देरी की सीमा तक कम हो गई थी क्योंकि दोनों कम्पनियों द्वारा जारी किये गये क्रयादेश में मरम्मत में देरी की सीमा तक गारन्टी अवधि में विस्तार का प्रावधान नहीं था। दोनों कम्पनियों को ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत में

35 8053 डीटी =आपूर्तिकर्ताओं के पास पड़े 4765 डीटी +एसीओएस में पड़े 3288 डीटी।

देरी हेतु दोषी आपूर्तिकर्ताओं के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही जैसे बैंक गारन्टी का भुनाना, आगामी निविदा हेतु बहिष्कृत, अन्य क्रयादेश के बकाया बिलों से कटौती/ रोक इत्यादि करनी थी, जो की नहीं की गई।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (जुलाई 2018) किया एवं कहा कि अनुबंधित प्रावधानों के अनुसार विनिर्माण दोषों के कारण गारन्टी अवधि में विफल हुए ट्रांसफॉर्मर्स की मरम्मत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की जानी थी जबकि आपूर्तिकर्ता दूसरे कारणों जैसे अधि-भार, एमसीसीबी से छेड़छाड़, तेल/कॉपर कॉयल की चोरी इत्यादि से विफल ट्रांसफॉर्मर्स की मरम्मत हेतु बाध्य नहीं थे। यह भी कहा गया कि गारन्टी अवधि में विफल शेष ट्रांसफॉर्मर्स उठाने एवं मरम्मत हेतु आपूर्तिकर्ताओं को राजी किया जा रहा है एवं इन आपूर्त्तिकर्त्ताओं से दंड की वसूली, प्रकरण के बंद होने अथवा गारन्टी अवधि की समाप्ति पर की जायेगी।

सरकार ने आगे कहा (सितम्बर 2018) कि जेवीवीएनएल ने चूक करने वाले आपूर्तिकर्त्ताओं पर दंड लगाने का फैसला किया था। आगे, गारंटी अवधि में विफल हुए ट्रांसफार्मर्स में से 90 प्रतिशत की सितम्बर 2018 तक मरम्मत की जा चुकी थी। इसमे आगे कहा है कि जेडीवीवीएनएल द्वारा दिये गये क्रय आदेशों में गारंटी के अनुच्छेद में होगा कि आपूर्तिकर्ता द्वारा इस अनुच्छेद के तहत ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत के प्रकरणों मे, ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत के पश्चात आगे 12 महीने की ओर गारन्टी होगी। जेवीवीएनएल के प्रकरणों में उत्तर तथ्यात्मक रुप से गलत है क्योंकि जेवीवीएनएल द्वारा प्रदान की गई सूचना दर्शाती है कि 77 प्रतिशत से ज्यादा (कुल विफल 18905 डीटी में से 14580 डीटी) गारंटी अवधि में विफल ट्रांसफार्मर्स आज तक कम्पनी/आपूर्तिकर्ताओं के पास पडे हैं (नवम्बर 2018)।

3.1.18 *वितरण ट्रांसफॉर्मर की चोरी*

डिस्कॉम्स से अपने माल (ट्रांसफॉर्मर एवं ट्रांसफॉर्मर कॉयल सहित) जो भण्डार/क्षेत्र में स्थापित है की समयबद्व ट्रेकिंग एवं चोरी की रिपोर्टिंग, प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दर्ज करवाने एवं चोरी किये गये माल की पुलिस द्वारा पुनः प्राप्ति द्वारा चोरी एवं गबन की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत एवं प्रभावी प्रणाली विकसित करने की उम्मीद की जाती है।

हमने पाया कि दोनों ही डिस्कॉम्स में ऐसी मजबूत एवं प्रभावी प्रणाली में निम्न वर्णित कमियां थीः-

3.1.19 *ट्रांसफॉर्मर एवं ट्रांसफॉर्मर कॉयलस की चोरी से नुकसान*

निम्नलिखित तालिका 2015-18 में जेवीवीएनएल के चयनित उपखण्डों में ट्रांसफॉर्मर/ ट्रांसफॉर्मर कॉयल की चोरी के प्रकरणों की संख्या एवं मूल्य दर्शाता हैः-

उपखण्ड	वृत्त कार्यालय	चोरी के मामले (संख्या)	चोरी के माल का मूल्य (₹ करोड़ में)
मुण्डावर	अलवर	171	0.94
बानसूर	अलवर	49	0.20
विराटनगर	जयपुर जिला	52	0.29
बस्सी	जयपुर जिला	154	0.90
नदबई	भरतपुर	210	1.09
बयाना	भरतपुर	107	0.48
कुल		**743**	**3.90**

हमने पाया कि कम्पनी ने सभी प्रकरणों में संबंधित पुलिस स्टेशन में एफ आई आर दर्ज करवाई जो कि अभी तक लम्बित हैं। परंतु कम्पनी ने, इन प्रकरणों को पुलिस प्राधिकारियों के साथ उठाने के लिये कोई प्रणालीगत तरीका नही अपनाया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा चोरी रोकने के लिये कोई रोकथाम/निरोधक तरीका नही अपनाया।

सरकार ने इन तथ्यों को स्वीकार (जुलाई 2018) किया एवं कहा कि इन चोरी के प्रकरणों में अंतिम रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु पुलिस के साथ नियमित अनुसरण किया जा रहा है। हालांकि, चोरी के प्रकरणों से पुनः प्राप्त माल के उचित इंद्राज हेतु किसी भी निवारक तंत्र एवं रख-रखाव प्रणाली के निर्माण के विषय पर कोई उत्तर नहीं दिया गया।

सरकार ने आगे कहा (सितम्बर 2018) कि ट्रांसफार्मर्स की चोरी रोकने के लिये जनता/उपभोक्ता की सक्रिय भागीदारी से प्रयास किये जा रहे है एवं आई टी सक्षम ई आर पी प्रणाली के द्वारा तकनीकी हस्तक्षेप लागू किये जा रहे है। उन्होने आगे कहा कि दूसरे निवारक तरीके जैसे एल्यूमिनियम कायल्स के ट्रांसफार्मर्स की खरीद, ट्रांसफॉर्मर को अधिक ऊंचाई पर लगाना एवं ट्रांसफॉर्मर को ढांचे के साथ वेल्ड कराना आदि अपनाये जा रहे है।

3.1.20 *ट्रांसफॉर्मर की चोरी के अभिलेख न बनाना*

कम्पनी (जेडीवीवीएनएल) ने चोरी एवं गबन प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने एवं कम्पनी के मुख्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु वृत कार्यालयों को दिशा-निर्देश जारी (सितम्बर 2002, मार्च 2010, अगस्त 2010, अप्रैल 2014 एवं मई 2014) किये। वृत कार्यालयों को भी लंबित चोरी एवं गबन प्रकरणों के लिये एक पृथक रजिस्टर बनाने एवं कम्पनी के प्रबंध निर्देशक की जानकारी/ सूचना के लिए निर्धारित प्रारूप में चोरी एवं गबन की मासिक सूचना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

हमने पाया कि चयनित वृत कार्यालयों[36] एवं उपखण्ड कार्यालयों[37] में चोरी एवं गबन के प्रकरणों के लिये आवश्यक रजिस्टर / पंजिका नहीं बनाये। इसके अतिरिक्त, वृत कार्यालयों ने निर्धारित मासिक सूचना प्रस्तुत नहीं की। कम्पनी ने 2015-18 की अवधि के दौरान ट्रांसफॉर्मर एवं ट्रांसफॉर्मर कॉयल की चोरी के मात्र 366 मामले दर्ज किये जिनमें चयनित वृत्तों से संबंधित 130 मामले[38] सम्मिलित थे। चयनित वृत्तों द्वारा चोरी के प्रकरणों के लिए बनाई गई सूचना सही नहीं थी क्योंकि दो चयनित वृत्तों (बीकानेर जिला वृत्त एवं जालौर वृत्त) ने उन उपखण्डों के संबंध में चोरी एवं गबन के कारण शून्य सूचना दी, जिन्होंने वृत कार्यालय को सूचना नहीं दी थी। इसके अतिरिक्त, वृत्तों के तहत चार उपखण्डों की जाँच में देखा गया कि ₹ 4.54 लाख के चोरी एवं गबन के 12 मामले पुलिस अधिकारियों के पास लंबित थे एवं अभी तक कोई वसूली नही हुई थी (मार्च 2018)। इस प्रकार चोरी एवं गबन के प्रकरणों की निगरानी हेतु प्रबन्धकीय सूचना तंत्र कमजोर था। इसके अतिरिक्त, उचित अभिलेखो की अनुपस्थिति में, 2015-18 की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा प्रकरणों की सटीक संख्या एवं ट्रांसफॉर्मर की चोरी एवं गबन के कारण कम्पनी को हुए नुकसान की सटीक गणना करना संभव नहीं था।

36 जोधपुर जिला वृत, बिकानेर जिला वृत एवं जालौर वृत ।

37 बालेसर, डेचू, बज्जु, लूनकरणसर, भडराना एवं सांचौर ।

38 जोधपुर जिला वृत मे 118 मामले, बीकानेर जिला वृत मे छः मामले व जालौर वृत मे छः मामले ।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (जुलाई/सितम्बर 2018) किया एवं कहा कि प्रबंधकीय सूचना तंत्र एवं आंतरिक लेखापरीक्षा समुह की हर महीने सही एवं प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किये गये है। इसमे आगे यह भी आश्वासन दिया कि ऐसे प्रकरणों की आगे की कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों के दौरान नियमित रुप से की जावेगी।

3.1.21 *ट्रांसफॉर्मर का समयपूर्व बेकार घोषित करना*

भारत सरकार ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के परामर्श पर लाइसेन्सधारियों के लिए वितरण ट्रांसफॉर्मर का उचित जीवनकाल 25 वर्ष निर्धारित करते हुए ह्रास का मानक निर्धारण (मार्च 1994) किया।

जेवीवीएनएल

निम्नलिखित तालिका जेवीवीएनएल के तीन चयनित एसीओएस में 2015-16 से 2017-18 के दौरान गारन्टी अवधि (बीजीपी) के बाद विफल हुए वितरण ट्रांसफार्मर्स के प्रारंभिक शेष, प्राप्त किये, मरम्मत किये, निरस्त, विक्रय किये एवं अंतिम शेष को दर्शाता है।

अवधि	एसीओएस	गारन्टी अवधि पार विफल वितरण ट्रांसफॉर्मर की स्थिति (संख्या)				
		प्रारंभिक शेष	प्राप्त	मरम्मत	निरस्त एवं विक्रय किये गये	अंतिम शेष
2015-16	अलवर	5105	14660	1807	3702	14256
	भरतपुर	3872	4741	514	4757	3342
	जयपुर जिला	10648	14677	2360	8202	14763
	कुल	**19625**	**34078**	**4681**	**16661**	**32361**
2016-17	अलवर	14256	9916	0	12494	11678
	भरतपुर	3342	2680	0	2662	3360
	जयपुर जिला	14763	20527	0	16698	18592
	कुल	**32361**	**33123**	**0**	**31854**	**33630**
2017-18	अलवर	11678	14005	2108	16012	7563
	भरतपुर	3360	2970	534	3955	1841
	जयपुर जिला	18592	15358	420	27554	5976
	कुल	**33630**	**32333**	**3062**	**47521**	**15380**
कुल योग			**99534**	**7743**	**96036**	

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2015-18 के दौरान 119159[39] गारन्टी अवधि पार विफल वितरण ट्रांसफॉर्मर्स में से केवल 7743 मरम्मत किये गये एवं 96036 वितरण ट्रांसफॉर्मर्स बेकार घोषित किये गये एवं नीलामी द्वारा स्क्रेप के रुप में विक्रय किया गया। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2018 गारन्टी अवधि पार को विफल वितरण ट्रांसफॉर्मर (15380) में से केवल 238 मरम्मत किये गये जबकि 15142 डीटी को पूर्व में ही बेकार घोषित किये जा चुके थे एवं निस्तारण हेतु लंबित थे। इस प्रकार कुल 119159 गारन्टी अवधिपार विफल वितरण ट्रांसफॉर्मर में से केवल 7981[40] (6.70 प्रतिशत) मरम्मत किये गये/मरम्मत योग्य थे एवं शेष

39 1 अप्रैल 2015 को डीटी का प्रारम्भिक शेष (19625)+ 2015-18 के दौरान कुल प्राप्त डीटी (99534)

40 2015-18 में मरम्मत किये गये डीटी (7743)+ 31 मार्च 2018 को मरम्मत योग्य डीटी (238)

111178[41] वितरण ट्रांसफॉर्मर (93.30 प्रतिशत) खराब घोषित किये एवं स्क्रेप में निस्तारित/विक्रय किये गये।

यह देखा गया कि जेवीवीएनएल ने सभी सिंगल फेस गारन्टी अवधि पार वितरण ट्रांसफॉर्मर को निस्तारित करने का निर्णय (नवम्बर 2015) लिया। इसके अतिरिक्त, जेवीवीएनएल ने थ्री फेस गारन्टी अवधि पार वितरण ट्रांसफॉर्मर जो 1 अप्रैल 2010 से पूर्व निर्मित थे, को यह मानते हुए निस्तारित करने का निर्णय लिया (जुलाई 2016) कि इनकी मरम्मत, नये ट्रांसफॉर्मर क्रय करने की तुलना में आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं थी। हमने पाया कि वो सभी गारन्टी अवधि पार विफल वितरण ट्रांसफॉर्मर जो बेकार घोषित किये गये एवं 2015-18 में विक्रय किये गये/ निस्तारित किये गये, अप्रैल 2006 से मार्च 2010 के बीच निर्मित थे। इस प्रकार वितरण ट्रांसफॉर्मर के सामयिक मरम्मत/ सुरक्षा के मानक निर्धारित करने जैसे भार का सामयिक निरीक्षण, तापमान एवं वोल्टेज, ऑयल स्तर, पृथ्वी प्रतिरोध, रिले, अलार्म एवं सर्किट इत्यादि के स्थान पर कम्पनी नें पुराने अवधि पार विफल वितरण ट्रांसफॉर्मर को निपटाने का निर्णय किया जिससे वितरण ट्रांसफॉर्मर की उचित प्रभावी उपयोगी आयु 25 वर्ष से 11 वर्ष तक घट गई एवं गारंटी अवधि पार विफल डीटी के बेकार घोषित करने एवं निस्तारित करने से ₹ 122.90 करोड़[42] रूपयों का नुकसान हुआ।

जेडीवीवीएनएल

निम्नलिखित तालिका जेडीवीवीएनएल के तीनों चयनित एसीओएस में 2015-16 से 2017-18 में गारन्टी अवधि पार विफल वितरण ट्रांसफॉर्मर का प्रारंभिक शेष, प्राप्ति , मरम्मत , बेकार घोषित एवं विक्रय किये गये एवं अंतिम शेष को दर्शाती है:-

अवधि	एसीओएस	गारन्टी अवधि पार विफल वितरण ट्रांसफॉर्मर की स्थिति (संख्या)				
		प्रारंभिक शेष	प्राप्त	मरम्मत	निरस्त एवं बेचे गये	अंतिम शेष
2015-16	जोधपुर	5565	5331	5285	0	5611
	बीकानेर जिला	1368	2509	2172	1181	524
	जालौर	2123	4392	4274	4	2237
	कुल	**9056**	**12232**	**11731**	**1185**	**8372**
2016-17	जोधपुर	5611	4793	6447	60	3897
	बीकानेर जिला	524	2053	1793	178	606
	जालौर	2237	4437	2865	0	3809
	कुल	**8372**	**11283**	**11105**	**238**	**8312**
2017-18	जोधपुर	3897	2783	1881	0	4799
	बीकानेर जिला	606	908	759	237	518
	जालौर	3809	3687	2004	0	5492
	कुल	**8312**	**7378**	**4644**	**237**	**10809**
कुल योग			**30893**	**27480**	**1660**	

41 कुल विफल डीटी (119159) – कुल मरम्मत किये / मरम्मत योग्य डीटी (7981)

42 यह जेवीवीएनएल के लेखों में चयनित ऐसीओएस/ वृत्तों में ट्रांसफॉर्मर की बिक्री से हुई हानि जो कि "सम्पत्ति को बेचने से हुई" हानि को इंगित करता है।

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2015-18 के दौरान 39949[43] गारन्टी अवधि पार वितरण ट्रांसफॉर्मर में से 27480 (68.79 प्रतिशत) मरम्मत किये गये एवं 1660 (4.16 प्रतिशत) खराब घोषित किये एवं नीलामी द्वारा स्क्रेप में विक्रय किये गये। इसके अतिरिक्त गारन्टी अवधि पार विफल 10809 वितरण ट्रांसफॉर्मर तीन चयनित एसीओएस में पड़े हुए थे (मार्च 2018)।

हमने पाया कि जेडीवीवीएनएल ने सभी गारन्टी अवधि पार वितरण ट्रांसफॉर्मर के निपटारे के लिए निर्माण तिथि 31 दिसम्बर 2008 तक रखने का निर्णय (फरवरी 2017) यह मानते हुए किया कि गारन्टी अवधिपार वितरण ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं थी। हालांकि थ्री फेस वितरण ट्रांसफॉर्मर की कमी के कारण जेडीवीवीएनएल ने अपने निर्णय को संशोधित किया एवं 31 दिसम्बर 2004 के बाद में निर्मित थ्री फेस गारन्टी अवधि पार विफल वितरण ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत कराने का निर्णय (27 सितम्बर 2017) किया। तत्पश्चात जेडीवीवीएनएल की निगम स्तरीय क्रय समिति (सीएलपीसी) ने निर्णय (27 दिसम्बर 2017) लिया कि 31 मार्च 2010 तक निर्मित गारण्टी अवधि पार डीटी की मरम्मत नहीं कराई जाये। इस प्रकार जेडीवीवीएनएल ने उन वितरण ट्रांसफॉर्मर को स्क्रेप कर दिया एवं 8 वर्ष उपयोग के बाद निस्तारित कर दिया जिनकी उचित आयु भारत सरकार ने 25 वर्ष निर्धारित की थी। वितरण ट्रांसफॉर्मर की सामयिक मरम्मत/सुरक्षा के मानकों जैसे भार का सामयिक निरीक्षण, तापमान एवं वोल्टेज, तेल स्तर, पृथ्वी प्रतिरोध, रिले, अलार्म एवं सर्किट इत्यादि के अभाव में जेडीवीवीएनएल ने वितरण ट्रांसफॉर्मर की सामयिक मरम्मत सुनिश्चित नहीं की।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (जुलाई 2018) किया एवं कहा कि दोनों कम्पनियों (जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल) में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वितरण ट्रांसफॉर्मर की निर्धारित आयु आदर्श भौगोलिक /क्षेत्रीय स्थितियों के अनुसार थी जो वास्तविक रूप से हासिल नहीं की जा सकती है जैसे तापमान स्तर, लोडिंग की स्थिति, अधिक वोल्टेज एवं शॉर्ट सर्किट इत्यादि एवं ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत व्यवहारिक नहीं होने के कारण ट्रांसफार्मर्स को स्क्रैप घोषित किया गया।

इसने आगे कहा (सितम्बर 2018) कि जेडीवीवीएनएल को दूर-दराज के क्षेत्रों मे नियमित यातायात की उपलब्धता ना होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विफल डीटीज के आवधिक अनुरक्षण में कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि जेडीवीवीएनएल ने मुख्यमंत्री विद्युत सुधार योजना के अंतर्गत ट्रांसफार्मर्स के अनुरक्षण/नवीनीकरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया था।

आईटी सक्षम स्कन्ध प्रबंधन प्रणाली की कमी

3.1.22 31 मार्च 2017 को, जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल क्रमशः ₹ 361.87 करोड़ एवं ₹ 151.63 करोड़ मूल्य का स्कंध रखती थी। 2015-18 के दौरान, जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल ने क्रमशः ₹ 962.43 करोड़ एवं ₹ 427.73 करोड़ के डीटी की खरीद आदेश दिए। ऐसी विशाल सामग्री उपभोग के वित्तीय एवं परिचालन महत्व को ध्यान में रखते हुए, कम्पनियों को आईटी सक्षम स्कंध प्रबंधन प्रणाली लागू करना समझदारी होगी। हमने देखा कि

43 1 अप्रैल 2015 को डीटी का प्रारम्भिक शेष (9056) + 2015-18 के दौरान कुल प्राप्त डीटी (30893)

कम्पनियों ने ऐसी कोई प्रणाली लागू नहीं की है। जेवीवीएनएल ने एक स्टोर एवं स्कंध प्रबंधन प्रणाली प्रारम्भ करने के लिए (अक्टूबर 2007) योजना बनाई थी, लेकिन, इस तरह के सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर की उपलब्धता के बावजूद, आईटी बुनियादी ढांचे की कमी, कम्पनी के अधिकारियों के बीच सॉफ्टवेयर के ज्ञान की कमी, मानव शक्ति की कमी एवं धीमी इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। जेडीवीवीएनएल भी किसी भी आईटी सक्षम स्कंध प्रबंधन प्रणाली को लागू करने में असफल रहा। यह भी देखा गया था कि सामग्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के निर्देश (25 सितंबर 2013)का पालन भी नहीं किया गया। आईटी सक्षम स्कन्ध प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए दोनों कम्पनियों की विफलता के परिणाम स्वरुप वांछित पारदर्शिता की कमी हुई एवं वे सामग्री के कुशल प्रबंधन एवं अनचाहे क्रय को टालना सुनिश्चित नहीं कर पाए।

सरकार ने तथ्यों (जुलाई एवं सितम्बर 2018) को स्वीकार किया एवं कहा कि एक वेब सक्षम सॉफ्टवेयर अर्थात *'एंटरप्राईस रिसोर्स प्लैनिंग'* को कुशल स्वरीद एवं स्कंध प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया जा रहा है जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। साथ ही, जेवीवीएनएल के जयपुर जिला वृत्त के ऐसीओएस में स्टोर्स लेखांकन (डीटी को सम्मिलित करते हुये) की एक पायलट परियोजना प्रारम्भ कर दी है।

निष्कर्ष एवं सिफारिश

वितरण ट्रांसफॉर्मर (डीटी) कुशल एवं अविराम विद्युत वितरण नेटवर्क को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल (कम्पनियों) ने आरटीपीपी अधिनियम 2012 एवं आरटीपीपी नियम, 2013 के प्रावधान एवं नियमों के अनुरूप क्रय मैनुअल में संशोधन नहीं किया। डीटी का निर्धारण फील्ड कार्यालयों द्वारा तैयार वास्तविक आवश्यकता एवं चल रही योजनाओं/ कार्यो पर आधारित नहीं था। दोनों कम्पनियों में डीटी की विफलता दर ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम विफलता दर की तुलना में उच्च थी। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्धारित 1.5 प्रतिशत की दर की तुलना में 2015-18 के दौरान जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल में कुल विफलता दर क्रमशः 9.87 प्रतिशत एवं 12.85 प्रतिशत एवं 8.01 प्रतिशत एवं 10.18 प्रतिशत के मध्य थी। कम्पनियों ने न तो विफलता दर के कारणों का विश्लेषण किया एवं न ही इस समस्या का अध्ययन करने के लिए विक्रेता-वार विफलता दर का कोई रिकॉर्ड बनाया। कंपनियां गारंटी अवधि के भीतर विफल रहे ट्रांसफार्मरों को जमा करने में तत्पर नहीं थी। कम्पनियों ने विफलताओं की प्रारंभिक सूचना के बाद भी दोषपूर्ण ट्रांसफॉर्मर की समय पर उठाने एवं मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुसरण के लिए उचित प्रणाली विकसित नहीं की थी। ट्रांसफॉर्मर की पर्याप्त मात्रा कम्पनियों के भंडार एवं आपूर्तिकर्ताओं के पास पड़े थे।

हम अनुशंसा करते हैं कि कम्पनियों को :

- आरटीपीपी अधिनियम एवं नियमों का पालन करें एवं क्रय नियमावली को इसके साथ समानता में संशोधित करना चाहिए।

- अतिरिक्त/कम खरीद से बचने के लिए चल रहे कार्य / योजनाओं के आधार पर आवश्यकताओं का आकलन करें।
- डीटी की विफलता के कारणों का विश्लेषण करें एवं उच्च विफलता दर को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय करें।
- भंडार में असफल डीटी की समय पर जमा सुनिश्चित करने, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा डीटी उठाने एवं निर्धारित समय अवधि के भीतर उनकी मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित तंत्र विकसित करें।
- अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार दोषी आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करें, एवं प्राथमिकता पर उचित आईटी सक्षम सामग्री प्रबंधन समाधान लागू करें।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

3.2 दोषयुक्त योजना के कारण गैस आधारित विद्युत संयंत्र का संचालन ना होने से निष्फल व्यय

कम्पनी ने गैस आधारित, रामगढ संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र (चरण-4) के लिये क्रय किये गये संयंत्र/उपकरणों के बीमा एवं ऋण पर ब्याज के लिये ₹ 90.64 करोड़ व्यय करने से पूर्व गैस की उपलब्धता सुनिश्चित नही की थी। कम्पनी ने ऐसे संयंत्र/उपकरणों पर भी ₹ 107.41 करोड़ व्यय किये जो अनुपयोगी पड़े हैं एवं ₹ 103.87 करोड़ की प्रतिबद्ध देनदारियां और भी हैं।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने रामगढ, जैसलमैर में 270.50 मेगा वाट[44] (एमडब्लयू) के गैस आधारित थर्मल पॉवर स्टेशन (चरण I से III) की स्थापना की थी। कम्पनी, अपनी स्थापित इकाइयों/परियोजनाओं के संचालन के लिये आवश्यक मात्रा में गैस (1.70 एमएमएससीएमडी[45]), गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गैल) से प्राप्त करती थी। तद्नुसार इन परियोजनाओं के लिये गैस की आवश्यकता की पूर्ति गैल के क्षेत्रों से (0.75 एमएमएससीएमडी की प्रशासित मूल्य तंत्र (एपीएम) के मूल्य पर) एवं इसके अप-स्ट्रीम आपूर्तिकर्त्ता अर्थात फोकस एनर्जी लिमिटेड (एफईएल) से (0.95 एमएमएससीएमडी की पारस्परिक रुप से सहमत मूल्य पर) की जाती थी। कम्पनी के निदेशक मंडल (बीओडी) ने रामगढ़, जैसलमेर में एक ओर परियोजना अर्थात 160 मेगावाट[46] की गैस आधारित रामगढ़ संयुक्त चक्र विद्युत प्रोजेक्ट (चरण-4) लगाने का निर्णय (16 मार्च 2010) किया। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए कुल परियोजना लागत ₹ 640 करोड़[47] की प्रशासनिक

---

44 एक यूनिट-35.5 मेगा वाट (चरण-1) + प्रत्येक 37.5 मेगा वाट की दो यूनिट (चरण-2) एवं 110 मेगा वाट की गैस टर्बाईन एवं 50 मेगा वाट की भाप टर्बाईन (चरण-3)।

45 एमएमएससीएमडी का अर्थ है मिलियन मीट्रिक स्टेन्डर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन।

46 110 मेगावाट की एक गैस टर्बाईन इकाई एवं 50 मेगावाट की एक भाप टर्बाईन इकाई ।

47 राज्य सरकार से ईक्विटी (परियोजना लागत का 20 प्रतिशत) के रूप में ₹ 128 करोड़ एवं शेष ₹ 512 करोड़ पीएफसी/आरईसी से उधार लेना था ।

एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (24 जून 2010) कर दी। बीओडी ने परियोजनाओं की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए, गैल से बातचीत के आधार पर गैस की दर का प्रबंधन करने का निश्चय (21 सितम्बर 2011) किया एवं परियोजना को फास्ट ट्रेक आधार पर अगस्त 2013 तक पूर्ण करने के लिए मुख्य प्लांट का अनुबंध, एकल निविदा आधार पर भारत हैवी ईलेक्ट्रीकल लिमिटेड (बीएचईएल) को दे दिया।

कम्पनी ने परियोजना के लिए दीर्घकालिक आधार पर गैस की आपूर्ति करने के लिए, गैल एवं एफईएल के साथ त्रिपक्षीय बैठके (अक्टूबर 2011, दिसम्बर 2011 एवं मार्च 2012) की जिसमें एफईएल ने 10 वर्ष के लिए 0.75 एमएमएससीएमडी गैस आपूर्ति करने की पेशकश (अक्टूबर 2011) की जिसको कि प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्याप्त माना गया। एफईएल ने इस अभिकथन के साथ $ 7.5[48] प्रति एमएमबीटीयू[49] के आधार मूल्य पर गैस आपूर्ति का आगे प्रस्ताव किया कि वह भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है एवं वह गैस का मूल्य *'आर्मस लेंथ बेसिस'* पर तय करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार गैस की कीमत तय नहीं की जा सकी, यद्यपि कम्पनी ने गैल के साथ एफईएल के क्षेत्र से 0.75 एमएमएससीएमडी गैस आपूर्ति करने के लिए हैडस ऑफ एग्रीमेंट (एचओए) निष्पादित (9 मई 2012) कर लिया। इसके साथ ही कम्पनी ने बीएचईएल से, परियोजना के मुख्य संयंत्र/उपकरणों की आपूर्ति एवं निर्माण, परीक्षण एवं स्थापना (ईटीसी) के लिए विस्तृत तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव मांगे (29 सितम्बर 2011)। बीओडी ने मुख्य प्लांट की आपूर्ति एवं ईटीसी के लिए ₹ 380.25 करोड़[50] का कार्य आवंटन का अनुमोदन (14 फरवरी 2012) किया एवं बीएचईएल को लेटर ऑफ इन्टेंट एवं कार्य आदेश क्रमशः अप्रैल 2012 एवं सितम्बर 2012 को जारी कर दिया। हालांकि, गैस उपलब्ध ना होने के कारण परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि गैस के मूल्य को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका था (जून 2018)।

हमने देखा कि कम्पनी जुलाई 2013 तक बीएचईएल से उपकरणों जैसे गैस टबाईन, गैस टबाईन सहायक आदि की ₹ 211.28 करोड़ की आपूर्ति स्वीकार कर चुकी थी। कम्पनी ने बीएचईएल से शेष आपूर्ति स्थगित (अक्टूबर 2013) कर दी एवं जून 2018 तक कोई ओर आपूर्ति स्वीकार नहीं की थी। कम्पनी ने जून 2018 तक प्लांट/उपकरणों की आपूर्ति के लिए बीएचईएल को ₹ 107.41 करोड़ जारी कर दिये थे एवं शेष राशि (₹ 103.87 करोड़) के लिए बीएचईएल कई बार मांग जारी कर चुकी थी। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने दिसंबर 2017 तक ऋण पर ब्याज (₹ 87.89 करोड़[51]) एवं प्लांट/उपकरणों के बीमा पर (₹ 2.75 करोड़) कुल ₹ 90.64 करोड़ खर्च किये।

लेखा-परीक्षा का मानना है कि विवेकपूर्ण व्यावसायिक निर्णय के रूप में कम्पनी को संयंत्र/उपकरणों के लिए क्रय प्रक्रिया पूरी करने से पहले, व्यवहार्य दर पर गैस की आपूर्ति के

---

48 यह प्रस्तावित कीमत प्रारंभिक दो साल के लिए लागू थी जिसको कि दो साल के पश्चात संशोधित किया जाना था।

49 मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट।

50 ₹ 336.38 करोड़ आपूर्ति के लिये एवं ₹ 43.87 करोड़ ईटीसी भाग के लिये।

51 पीएफसी से लिये गये कर्ज ₹ 223.42 करोड पर ब्याज अदा किया जो कि जुलाई 2017 में वापिस अदा किया।

लिए अनुबंध को अंतिम रूप देना चाहिए था। संयंत्र के लिए, गैस सबसे महत्वपूर्ण तत्व था लेकिन कम्पनी ने गैस मूल्य को अंतिम रूप देने को उचित प्राथमिकता नहीं दी। कम्पनी ब्याज एवं बीमा पर हुए निष्फल व्यय एवं बीएचईएल से क्रय उपकरणों, जो कि पांच वर्ष से ज्यादा अवधि से निष्क्रिय पड़े हैं एवं उनकी स्थिति समय बीतने के साथ ओर भी बिगडती जायेगी, पर हुए पूँजी अवरोधन से बच सकती थी।

कम्पनी ने इस तथ्य को माना (मई 2018) कि गैस के मूल्य के निर्धारण के किये बिना एचओए का निष्पादन एवं अनुबंधों का आवंटन किया गया क्योंकि एफईएल ने उच्चतर दर उद्धृत की थी। तत्पश्चात बातचीत (22 मार्च 2016) में एफईएल ने $ 5.67 प्रति एमएमबीटीयू तक दर कम कर दी थी परन्तु विनिमय दर में पर्याप्त वृद्धि के कारण प्रभावी दर काफी बढ़ चुकी थी एवं इससे परिवर्तनीय लागत महंगी हो गयी थी। बाद में ओएनजीसी व ओआईएल ने 0.40 एमएमएससीएमडी गैस की आपूर्ति, घरेलू/एपीएम मूल्य ($ 3.21 प्रति एमएमबीटीयू) पर करने की पेशकश (जनवरी 2018) की एवं शेष 0.55 एमएमएससीएमडी गैस, एफईएल से ($ 5 प्रति एमएमबीटीयू) की दर से प्राप्त करनी थी। इस प्रकार, समग्र परिवर्तनीय लागत की गणना ₹ 2.56 प्रति यूनिट (केडब्ल्यूएच) आ रही थी। कम्पनी ने, विद्युत लागत की व्यवहार्यता की जांच के लिए इन तथ्यों से राजस्थान ऊर्जा विकास निगम को सूचित (फरवरी 2018) किया परन्तु सहमति प्रतीक्षित है।

तत्पश्चात सरकार ने (जून 2018) कहा है कि लेखा-परीक्षा आपत्ति प्रकल्पित है क्योंकि अभी तक कोई लागत वृद्धि नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2010-12 के दौरान राज्य में विद्युत की कमी थी जो वर्तमान में विद्युत अधिशेष में बदल गया है। परिणामस्वरूप तापीय/सौर ऊर्जा संयंत्रो से प्रतिस्पर्धी एवं सस्ती दरों पर विद्युत उपलब्ध है। वर्तमान परिदृश्य में, टैरिफ प्रतिस्पर्धी होने पर ही परियोजना लागू की जा सकेगी। गैस आपूर्तिकर्ताओं/ट्रांसपोर्टर्स जैसे ओएनजीसी, ओआईएल, एफईएल एवं गैल से बातचीत चल रही है एवं इस संबंध में शीघ्र निर्णय होने की उम्मीद है। इस प्रकार तेजी से बदलती हुई मांग-आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संयंत्र स्थापित करने के निर्णय पर सवाल उठाना उचित नहीं है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि:-

(i) लेखा-परीक्षा ने सयंत्र स्थापित करने के निर्णय पर सवाल नहीं उठाया है। लेखा-परीक्षा आक्षेप में सबसे महत्वपूर्ण तत्व मूल्य तय किये बिना ही उपकरणों का क्रय प्रारम्भ करने के अविवेकपूर्ण निर्णय पर प्रकाश डाला गया है, जिसके कारण कार्यान्वयन की प्रगति धीमी रही।

(ii) लेखा-परीक्षा ने परियोजना की लागत में किसी भी वृद्धि का प्रश्न नहीं उठाया है एवं वास्तविक निष्फल व्यय एवं निधियों के अवरोधन की गणना वास्तविक आधार पर की गई है।

(iii) मांग-आपूर्ति के गतिशील होने का तर्क भी एक घटक था जिसको उस समय के निर्णयकर्ताओं को गैस आपूर्ति का प्रबंध किये बिना उपकरण/संयंत्र को क्रय प्रारम्भ करते समय ध्यान में रखना चाहिए था।

(iv) उत्तर इस मुद्दे को स्पष्ट नहीं करते कि, गैस आपूर्ति का मूल्य-निर्धारण किये बिना, एफईएल के क्षेत्रों से गैस की आपूर्ति के लिए गैल के साथ, एचओए को अंतिम रूप

क्यों दिया गया एवं गैस आपूर्ति लागत तय किये बिना बीएचईल को संयंत्र/उपक्रणों की आपूर्ति हेतु आदेश दिया गया।

इस प्रकार तथ्य यह है कि कम्पनी ने ऊर्जा संयंत्र के लिए, ईंधन के मुख्य स्त्रोत पर निर्णय किये बिना, ब्याज एवं बीमा के ₹ 90.64 करोड़ निष्फल व्यय किया है एवं निष्क्रिय पड़े संयंत्र/उपकरणों पर ₹ 107.41 करोड़ की राशि अवरूद्ध पडी है।

सरकार ने अपने पूर्व के उत्तर को पुनः दोहराया (सितम्बर 2018) एवं स्वीकार किया कि गैस का मूल्य तय किये बिना, संयंत्र/उपकरण की क्रय प्रारम्भ करने का निर्णय राज्य में ऊर्जा की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए लिया गया था ताकि संयंत्र जितना जल्दी संभव हो लगाया जा सके। प्रतिस्पर्धी कीमतों एवं सस्ती विद्युत की उपलब्धता के कारण ऊर्जा की मांग का वर्तमान परिदृश्य भी बदल गया है। आगे यह कहा गया है कि गैस आपूर्तिकर्ताओं/ ट्रांसपोर्टर जैसे ओएनजीसी, ओआईएल, एफईएल एवं गैल से बातचीत चल रही है एवं इस संबंध में शीघ्र निर्णय की संभावना है। यद्यपि तथ्य यही है कि त्रुटिपूर्ण योजना के कारण निष्फल व्यय के अतिरिक्त परियोजना के कार्यान्वयन पर भी असर पड़ा है।

3.3 कोयला आपूर्ति अनुबंध में अपर्याप्त वाक्यांश के कारण सांविधिक प्रभारों की अवसूली

कोयला आपूर्ति अनुबंध में संबंधित वाक्यांश ना होने के कारण, कम्पनी कोयला आपूर्ति कम्पनियों से ₹ 52.66 करोड़ के सांविधिक प्रभार की वसूली नही कर सकी।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने अपने तापीय ऊर्जा केन्द्रों[52] के लिये कोयले की आपूर्ति हेतु नार्दन कॉलफील्ड लिमिटेड, सिंगरोली (जुलाई 2009) एवं साऊथ इस्टर्न कॉलफील्ड लिमिटेड (अगस्त 2009) के साथ 20 वर्षों की अवधि के लिये अनुबंध किया जो कि 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी था। कम्पनी को कोयले की आपूर्ति के लिये हर महीने तीन किश्तों में अग्रिम भुगतान करना था। अग्रिम भुगतान **'आपूर्ति किये गये कोयले के मूल्य' जिसमें आधार मूल्य[53], अन्य शुल्क[54] एवं सांविधिक प्रभार[55] भी सम्मिलित थे,** के आधार पर करना था।

कोयला आपूर्ति अनुबंध के अनुसार, कम्पनी **कोयले की गुणवत्ता की श्रेणी में गिरावट होने पर घोषित श्रेणी[56] एवं विश्लेषित श्रेणी[57] के आधार मूल्य में अन्तर की सीमा तक क्रेडिट** की हकदार थी। इस प्रकार, विश्लेषित श्रेणी के घोषित श्रेणी से कम होने पर कम्पनी केवल ***आधार मूल्य*** में अन्तर की सीमा तक ही वसूल करने की हकदार थी।

---

52 कोटा सुपर तापीय ऊर्जा केन्द्र एवं सुरतगढ सुपर तापीय ऊर्जा केन्द्र ।

53 आधार मूल्य से तात्पर्य विक्रेता द्वारा उत्पादित कोयले की घोषित श्रेणी की कीमत से है जिसमें आपूर्ति स्थल तक की कीमत सम्मिलित है ।

54 परिवहन शुल्क, माप/पिसाई शुल्क एवम त्वरित लदान शुल्क ।

55 रायल्टी, राष्ट्रीय खनन अन्वेषण व्यास तथा जिला खनन प्रतिष्ठान का अंशदान, उत्पाद शुल्क, एम पी गतस्व/सड्क विकास कर, केन्द्रीय बिक्री कर ।

56 कोयले की श्रेणी/गुणवत्ता सीमा नमूने के आधार पर अन्तिम घोषित तथा कोयले के प्रेषण से पूर्व उक्त सीमा के आधार पर उत्पादित नमूने ।

57 कोयले की वास्तविक श्रेणी/गुणवत्ता प्रेषण से पूर्व नमूने तथा विश्लेषण की निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर निश्चित किया जाना ।

यद्यपि, अनुबंध में अन्तर *आधार मूल्य* पर ***सांविधिक प्रभारों*** की प्रतिपूर्ति का प्रावधान नहीं था जो कि, कोयले की घोषित श्रेणी के *'आपूर्ति किये गये मूल्य'* में सम्मिलित थे एवं कम्पनी ने अग्रिम भुगतान के समय अदा किये थे।

हमने देखा (अक्टूबर/दिसम्बर 2017) कि कम्पनी द्वारा प्राप्त किये गये कोयले की घोषित श्रेणी एवं विश्लेषित श्रेणी में कई बार बड़ी गिरावट थी। घोषित श्रेणी, विश्लेषित श्रेणी से उच्चतर थी अतः कम्पनी श्रेणी में गिरावट के कारण क्रेडिट की हकदार थी।

दिसम्बर 2016 से जून 2017 तक कम्पनी को कोयले की श्रेणी में गिरावट के लिये प्राप्त हुए क्रेडिट नोट की संवीक्षा से पता चला कि कोयला कम्पनियों ने कोयला आपूर्ति अनुबंध के अनुसार कोयले कि घोषित श्रेणी एवं विश्लेषित श्रेणी के अंतर आधार मूल्य पर ₹ 52.66 करोड़ के सांविधिक प्रभारों का क्रेडिट नही दिया।

हमने पाया कि कम्पनी कोयला आपूर्ति अनुबंध में विशिष्ट वाक्यांश ना होने के कारण, सांविधिक प्रभार की वसूली नहीं कर सकी एवं कोयला कम्पनियों ने कोयले की घोषित श्रेणी एवं विश्लेषित श्रेणी के अंतर आधार मूल्य का ही क्रेडिट दिया।

सरकार (ऊर्जा विभाग) ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (जनवरी 2018) कहा कि कोयला कम्पनियों से निवेदन किया गया है (नवम्बर 2017) कि अंतर आधार मूल्य पर सांविधिक प्रभार लौटाए जायें। कम्पनी ने अपने बाद के उत्तर (जून 2018) में कहा है कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2007 मे जारी नवीन कोयला वितरण नीति के अनुसार, उपभोक्ताओं को कोयला आपूर्ति केवल वैद्यानिक रुप से प्रवर्तनीय द्विपक्षीय कोयला आपूर्ति समझौते (एफएसए) के माध्यम से करने की आवश्यकता थी, जिसके आदर्श प्रारुप को ऊर्जा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया, केन्द्रीय विद्युत आयोग एवं एनटीपीसी के स्तर पर अंतिम रुप दिया गया था। कोल इंडिया ने निर्देशित किया था कि वर्तमान राज्य/सरकार को विद्युत संयंत्रो के कोयले की आपूर्ति के लिए आदर्श प्रारुप समझौते का पालन करना चाहिए। तदनुसार, कम्पनी ने उपरोक्त प्रारुप कोयला आपूर्ति अनुबंध निष्पादित किये जो कि श्रेणी गिरावट होने पर, केवल आधार मूल्य के अंतर तक ही क्रेडिट प्रदान करते है।

कम्पनी का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि कम्पनी कोयला आपूर्ति अनुबंध मे सावंधिक प्रभार का क्रेडिट लेने के लिये यथोचित वाक्यांश डालना सुनिश्चित नही कर पायी साथ ही प्रारुप कोयला आपूर्ति अनुबंधो को अंतिम रुप देते समय विषय को उच्च प्राधिकारी तक ले जा सकती थी।

3.4 मेगापॉवर प्रोजेक्ट पॉलिसी के प्रावधानों का पालन किए बिना आरडब्ल्यूएस का कार्य देने से अतिरिक्त व्यय।

कम्पनी मेगा पॉवर प्रोजेक्ट पॉलिसी के प्रावधानों का पालन करने में विफल रही एवं रिवर वाटर सिस्टम का कार्य अनिवार्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया को अपनाये बिना आवंटित किया, इस प्रकार ₹ 29.39 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एमओपी-जीओआई) ने मेगा पॉवर प्रोजेक्ट (एमपीपी) लगाने की अपनी मौजूदा नीति के दिशा-निर्देशो (अगस्त 2006) को संशोधित करके पुनरीक्षित नीति (14 दिसंबर 2009) जारी की। एमपीपी नीति, 2009 में निम्नलिखित प्रावधान थे :

- राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 एवं टैरिफ पॉलिसी 2006 के अनुसार एमपीपी के, वितरण कम्पनियों/उपयोगिताओं के साथ दीर्घकालिक विद्युत क्रय समझौता (पीपीए) के द्वारा विद्युत आपूर्ति करार होने चाहिए।
- जहां पर आवश्यक मात्रा में विद्युत का करार हो चुका हो अथवा परियोजना का आवंटन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली[58] के द्वारा किया गया हो वहां एमपीपी द्वारा उपकरणों की खरीद के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली[59] (आईसीबी) की कोई ओर आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों में, विदेश व्यापार नीति के प्रासंगिक अध्याय के तहत निर्यात लाभों के उद्देश्य के लिए, आईसीबी की आवश्यकताओं को पूर्ण किया माना जायेगा। अन्य सभी प्रकरणों में उपकरण की खरीद के लिए आईसीबी अनिवार्य होगी।

इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) भारत सरकार द्वारा जारी (17 मार्च 2012) अधिसूचनाओं एवं विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 में भी इन्ही प्रावधानों को दोहराया गया था कि विद्युत के करार एवं कार्य के आवंटन में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली को अपनाने पर, एमपीपी को आपूर्ति किये गये सभी मशीनरी/उपकरण/घटक आदि उत्पाद एवं सीमा शुल्क से मुक्त होगें।

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड (कम्पनी) के 1320 मेगावाट (2x660 मेगावाट) सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, छबड़ा (एसटीटीपी, छबड़ा) को मेगापावर स्टेट्स प्रदान (6 जनवरी 2010) किया। कम्पनी ने एसटीटीपी, छबडा के लिये आईसीबी के माध्यम से इंजिनियरिंग, क्रय एवं निर्माण (ईपीसी) का अनुबंध (मई 2013) मैसर्स लार्सन एण्ड टर्बो (एल एण्ड टी) को दिया एवं उस पर सभी कर संबन्धी लाभ प्राप्त किये।

तत्पश्चात, कपंनी को कुछ ओर उपकरण/ प्रणालियों जैसे रिवर वाटर सिस्टम (आरडब्ल्यूएस), डोजर, लोकोमोटिव्ज आदि की आवश्यकता महसूस हुई जो कि एल एण्ड टी के साथ हुए ईपीसी अनुबंध में सम्मिलित नहीं थे। यद्यपि, कम्पनी ने इस स्थिति में घरेलू प्रतिस्पर्धी बोली[60] के द्वारा आरडब्ल्यूएस के लिए निविदाएं आमंत्रित (जुलाई 2014) की। कपंनी ने आरडब्ल्यूएस का अनुबंध (8 मई 2015) टर्न-की आधार पर मैसर्स जुबेरी इंजिनियरिंग कम्पनी (जेडईसी) को ₹ 458.94 करोड़ में दिया।

---

58 यह शब्द राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जारी प्रक्रिया/निर्देशों के अनुसार पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के आधार पर टैरिफ निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त किया गया है।

59 यह शब्द माल के क्रय / बोली आमंत्रण से संबंधित है तथा विश्व बैंक द्वारा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रापण प्रक्रिया के दिशा निर्देशों पर कार्य करता है यथा संयुक्त राष्ट्र विकास व्यापार में 'बोली आमंत्रण' (आईएफबी) के साथ प्रापण सूचना प्रकाशित करना, सभी विश्व बैंक के सदस्य देशों की के दुतावास को आईएफबी की सूचना देना तथा व्यापक स्तर पर आईएफबी को प्रकाशित करना इत्यादि से प्रयुक्त किया गया है।

60 शब्द का अर्थ है कि माल एवं कार्यों की निविदाओं के आमंत्रण/क्रय,जहाँ आईएफबी को राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समाचार पत्रों जिनका व्यापक/परिसंचरण हो में प्रकाशित किया जाये ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जेडईसी ने परियोजना की एमपीपी स्थिति को मानते हुए, कीमत ₹ 507.45 करोड़ से घटाकर ₹ 458.94 करोड़ कर दी (जिसमें ₹ 26.59 करोड़[61] प्रोजेक्ट के एमपीपी स्थिति के कारण करो मे छूट के लिये, ₹ 21.07 करोड़ लागु होने वाले सेवा कर की पुनरीक्षित गणना के प्रभाव के लिये एवं ₹ 0.85 करोड़ जेडईसी ने बातचीत के दौरान अतिरिक्त छूट दी)। तथापि कम्पनी बाद की निविदा के समय एमपीपी पॉलिसी पर भारत सरकार की अधिसूचनाएं एवं एफटीपी 2015-20 की शर्तों के तहत टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में विफल रही थी एवं कम्पनी ने आरडब्ल्यूएस का कार्य आईसीबी के स्थान पर घरेलू प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के तहत आवंटन किया।

कम्पनी ने काफी देरी से घरेलू प्रतिस्पर्धी बोली के तहत क्रय किये गये उपकरणों/ प्रणालियों के लिये एमपीपी नीति के तहत कर लाभों की उपलब्धता के संबंध में ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से स्पष्टीकरण (अप्रैल 2016) मांगा। ऊर्जा मंत्रालय ने एमपीपी नीति के प्रावधानों को फिर से दोहराया (जुलाई 2016)। कम्पनी को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के प्रमाणपत्र एवं एमपीपी नीति के तहत मिलने वाले कर लाभों के लिये इंकार कर दिया गया था क्योंकि कम्पनी एमपीपी नीति के प्रावधानों को पूर्ण करने में विफल रही थी। इसी बीच कम्पनी ने संयुक्त सचिव, ऊर्जा मंत्रालय को आरडब्ल्यूएस के लिये क्रय पर कर लाभ देने का अनुरोध (दिसम्बर 2016) किया, ऊर्जा मंत्रालय के उत्तर प्रतीक्षित है। (जून 2018)

इस प्रकार, कम्पनी को देय करों के अतिरिक्त वित्तीय भार के लिये ₹ 29.39[62] करोड़ के भुगतान की स्वीकृति देनी (अगस्त 2017) पड़ी।

लेखा-परीक्षा प्रश्न के उत्तर में, सरकार (ऊर्जा विभाग) ने कहा (जून 2018) कि परियोजना की एमपीपी स्थिति (एसटीटीपी, छबडा) एवं एमपीपी नीति के प्रावधानों को देखते हुए आरडब्ल्यूएस का काम आईसीबी के माध्यम से नहीं किया गया था क्योंकि परियोजना की 100 प्रतिशत विद्युत का करार राजस्थान के डिस्कॉमस के साथ किया गया था। तत्पश्चात ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा विद्युत की मात्रा का करार करने का स्पष्टीकरण (जुलाई 2016) दिया था। इस प्रकार एमपीपी नीति की कोई गलत व्याख्या नहीं की गई एवं ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बाद में जारी किये गये स्पष्टीकरण के कारण कर लाभो का फायदा नहीं उठाया जा सका। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

(i) वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार द्वारा जारी (17 मार्च 2012) अधिसूचनायें एवं विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020 में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि विद्युत के करार में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली लगाने पर ही एमपीपी में उपयोग होने वाले उपकरण/ घटकों पर, उत्पाद एवं सीमा शुल्क की छूट होगी।

---

61 वर्कस् कॉन्ट्रेक्ट टैक्स (डब्ल्यूसीटी) ₹ 1.02 करोड़, उत्पाद शुल्क (ईडी) ₹ 25.05 करोड़ एवं केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) ₹ 0.52 करोड़

62 विभिन्न करो के कुल प्रभाव के रुप मे ₹ 26.59 करोड़ एवं अनुबंध के अन्तर्गत निष्पादित आकस्मिक कार्यो के लिए इस तरह के करो के प्रभाव के लिए ₹ 2.80 करोड़ सम्मिलित है।

(ii) स्पष्टीकरण मांगना यह दर्शाता है कि कम्पनी एमपीपी नीति के प्रावधानों के बारे में स्पष्ट नहीं थी एवं कम्पनी के लिए आरडब्ल्यूएस के अनुबंध को देने से पहले छूट की उपलब्धता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना समझदारी होता।

तथ्य यही है कि कम्पनी ने एमपीपी नीति के संबंधित प्रावधानों, भारत सरकार की अधिसूचनाओं एवं एफटीपी की उचित तरीके से जांच नहीं की, जिसके कारण ₹ 29.39 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सरकार ने अपने उत्तर को दोहराया (सितम्बर 2018) एवं कहा कि एमपीपी नीति की कोई गलत व्याख्या नहीं की थी एवं ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के बाद के स्पष्टीकरणों के कारण कर लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सका। हालांकि यह उत्तर, भारत सरकार की अधिसूचनाओं एवं एफटीपी 2015-2020 के प्रावधानों को नजरअंदाज करने एवं ऊर्जा मंत्रालय से बाद में कर छूट की उपलब्धता के लिए स्पष्टीकरण मांगने के संबंध में मौन है। यह इंगित करता है कि कम्पनी ने बिना आईसीबी मार्ग को अपनाये आरडब्ल्यूएस का कार्य देने में यथोचित आंकलन नहीं किया, जिसके कारण कम्पनी द्वारा अतिरिक्त व्यय हुआ।

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

3.5 मुद्रांक शुल्क का परिहार्य अधिक भुगतान

कम्पनी ने मुद्रांक शुल्क की प्रचलित दर की पूर्ण जानकारी नहीं ली एवं इस प्रकार ₹ 1.18 करोड़ का अधिक भुगतान किया। साथ ही, कम्पनी ने निर्धारित समय अवधि समाप्त होने के बाद धन वापस लेने की प्रक्रिया प्रारम्भ की एवं इसलिए पंजीकरण एवं मुद्रांक विभाग से धन वापस प्राप्त करने में सफल नहीं हुई।

राजस्थान डिस्कॉम्स विद्युत प्रापण केन्द्र[63] (आरडीपीपीसी) (वर्तमान में राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी)) ने कोस्टल पावर गुजरात लिमिटेड (विक्रेता) के साथ, अप्रैल 2007 में विद्युत क्रय अनुबंध के अर्न्तगत डिस्कॉम्स की देयताओं को विक्रेता के हित सुरक्षित करने हेतु अनुबंध (दृष्टिबंधक सह दृष्टिबंधक पत्र, जो कि इसके बाद प्रपत्र के रूप में संदर्भित है) किया (9 अक्टूबर 2013) एवं उसके पक्ष में 'सास्य पत्र' (एलओसी) जारी (9 अक्टूबर 2013) किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (मुद्रांक अधिनियम) के अनुच्छेद 6 (2) के अनुसार प्रपत्रों के निष्पादन के समय मुद्रांक शुल्क की लागू दर सास्य-पत्र में वर्णित राशि की 0.1 प्रतिशत थी। तथापि, कम्पनी प्रपत्रों के निष्पादन के समय मुद्रांक शुल्क की लागू दर का पता लगाने में विफल रही एवं सास्य-पत्र के दो प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क का भुगतान (अक्टूबर 2013) किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.18 करोड़ के मुद्रांक शुल्क का अधिक भुगतान किया गया जैसा कि नीचे तालिका में विस्तृत रूप से दिया गया है-

---

63 आरडीपीपीसी दिसम्बर 2015 तक जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ईकाई थी । यह तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्काम्स) के लिये ऊर्जा व्यापार की गतिविधियों में सम्मिलित थी। राज्य सरकार ने एक नई कम्पनी यथा राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड स्थापित (4 दिसम्बर 2015) की जिसने आरडीपीपीसी के कार्यों का अधिग्रहण किया।

(राशि ₹ में)

डिस्कॉम का नाम	साख पत्र में वर्णित राशि	अधिनियम के अनुसार 0.1 प्रतिशत की दर से लागू मुद्रांक शुल्क के साथ ₹ 100 प्रति प्रकरण में	आरडीपीपीसी द्वारा दो प्रतिशत की दर से भुगतान की गई मुद्रांक शुल्क के साथ ₹ 100 प्रति प्रकरण में	मुद्रांक शुल्क का अधिक भुगतान
जेवीवीएनएल	218251000	218351	4365120	4146769
एवीवीएनएल	218251000	218351	4365120	4146769
जेडीवीवीएनएल	185300000	185400	3706100	3520700
योग	**621802000**	**622102**	**12436340**	**11814238**

लेखापरीक्षा द्वारा (सितम्बर 2014) इंगित किये जाने के पश्चात, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (मुद्रांक) से मुद्रांक शुल्क की लागू दर 0.1 प्रतिशत की पुष्टि (अक्टूबर 2014) होने के पश्चात, मुख्य अभियंता (आरडीपीपीसी) एवं अध्यक्ष डिस्कॉम्स के द्वारा पंजीकरण एवं मुद्रांक विभाग से अधिक भुगतान किया हुआ शुल्क वापिस मांगा (क्रमशः अक्टूबर 2014 एवं दिसम्बर 2014 को) गया।

मुद्रांक अधिनियम (धारा 61 से 63) प्रपत्रों के निष्पादन की दिनांक से छह महीने की अवधि तक विभिन्न परिस्थितियों के तहत मुद्रांक शुल्क की वापसी के लिए अनुमति देता है। इस प्रकार, जब मुख्य अभियंता (आरडीपीपीसी) एवं अध्यक्ष डिस्कॉम्स ने पंजीकरण एवं मुद्रांक विभाग से धन वापसी का अनुरोध किया उस समय तक मुद्रांक अधिनियम के तहत दी गई समय अवधि समाप्त हो चुकी थी।

आरडीपीपीसी, अध्यक्ष डिस्कॉम्स/ प्रधान सचिव (ऊर्जा विभाग) एवं कम्पनी के द्वारा पंजीकरण एवं मुद्रांक विभाग एवं राज्य सरकार के वित्त (राजस्व) विभाग के साथ अधिक शुल्क भुगतान की वापसी के लिये किये गये विभिन्न पत्राचारों के बावजूद दावा स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि यह देरी से प्रस्तुत किया गया था।

सरकार (ऊर्जा विभाग) ने कहा (जून 2018) कि मुद्रांक शुल्क का अधिक भुगतान गलती से किया गया था एवं मामला वित्त विभाग के स्तर पर विचाराधीन था।

तथ्य यह है कि कम्पनी ने प्रपत्रों के निष्पादन के समय मुद्रांक शुल्क की लागू दर का पता लगाने में उचित प्रयास नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.18 करोड़ का परिहार्य अधिक भुगतान किया गया।